खण्ड ५—अंक १८
८ अगस्त, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

186 L.S.D.

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा

बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बालकों के लिये राष्ट्रीय संग्रहालय

†*८४८. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालकों के लिये बनाए जाने वाले राष्ट्रीय संग्रहालय सम्बन्धी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके ब्योरे क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। श्रीमान मैं यह भी बता दूं कि प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है और योजना का ब्योरा तैयार करने के लिये एक तदर्थ समिति गठित की गई है।

†**श्री भागवत झा आजाद:** क्या मैं जान सकता हूं कि यह **तदर्थ समिति** कितने समय से ब्योरा तैयार कर रही है और भारत में बालकों के लिये एक राष्ट्रीय संग्रहालय कब तक तैयार होने की आशा की जा सकती है ?

†**डा० म० मो० दास :** मने यह पहले ही कहा है कि इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। इसलिये माननीय सदस्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या इसका यह अर्थ है कि शिक्षा मंत्रालय का द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल की समाप्ति तक इस संग्रहालय की स्थापना करने का विचार है। हर पांच वर्षों के भीतर या पहले, दूसरे अथवा किसी अन्य वर्ष में इस योजना को क्रियान्वित करने का कोई विचार है ?

†**डा० म० मो० दास :** यह बात गठित की गई समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर करती है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिये कोई कालावधि निश्चित की गई है अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना समिति की इच्छा पर छोड़ दिया गया है ?

† मूल अंग्रेजी में।

†**डा० म० मो० दास** : इस बात की जानकारी मुझे इस समय नहीं है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इस **तदर्थ समिति** के सदस्य कौन हैं, और क्या इस मामले के सम्बन्ध में विदेशों के विशेषज्ञों से कोई परामर्श लिया जा रहा है?

†**डा० म० मो० दास**: विदेशों से कोई सहायता आदि नहीं ली जा रही है। समिति के सदस्यों के नाम हैं : (१) श्री के० जी० सैयदैन सचिव, शिक्षा मंत्रालय—सभापति ; (२) श्रीमती इंदिरा गांधी ; (३) श्री के० शंकर पिल्ले ; (४) श्री सी० शिवराममूर्ति, कीपर (रक्षक) , राष्ट्रीय संग्रहालय; (५) श्री एस० के० जोगलेकर, चीफ आर्किटेक्ट, सेन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी; (६) श्रीमती कुडसिया जैदी ; (७) श्री ए० एन० बसु, प्रिन्सिपल, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आॅफ एज्यूकेशन, दिल्ली; (८) श्रीमती पुपुल जयकर और (९) श्री जे० के० राय, विशेष कार्य अधिकारी बुद्ध जयन्ती शिक्षा मंत्रालय

†**श्री न० मा० लिंगम** : क्या वह संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय की तरह दिल्ली में स्थित होगा या अन्य किसी क्षेत्र में, या सरकार की यह प्रस्थापना है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में दो या तीन संग्रहालय हों?

†**डा० म० मो० दास** : संग्रहालय दिल्ली में स्थित होगा। सुधारालय के पीछे कोटला रोड पर १० एकड़ जमीन का प्लाट इस काम के लिये चुना गया है जहां बाल-भवन और बालकों के संग्रहालय का भवन स्थित होंगे।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या यह सच है कि जयपुर के श्री प्रताप राय मेहता ने बालकों के लिये पहले ही एक संग्रहालय खोल रखा है?

†**डा. म० मो० दास** : मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

अल्प बचत

*८४९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अल्प बचत योजना के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से कोई सुझाव प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ; और

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह): (क) कांग्रेस की अल्प बचत समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को मिल गयी है।

(ख) रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक संशोधन करते समय उनका ध्यान रखा जायेगा। अल्प बचत योजना पहले ही से प्रायः उसी ढंग से चल रही है जिसका सुझाव रिपोर्ट में दिया गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : समिति ने कौनसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं?

†**श्री अ० चं० गुह** : एक सुझाव डाकघरों की संख्या को बढ़ाने के बारे में था। २०,००० नए डाकघर स्थापित करके मौजूदा डाकघरों की संख्या को बढ़ाने की एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहले ही से है। दूसरा सुझाव, डाकघरों के दैनिक कार्य से बचत विभाग के कार्य को अलग करने के सम्बन्ध में था। यह सुझाव पहले नांगिया रामकृष्ण समिति द्वारा किया गया था किन्तु उसे पूर्ण रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। इसके बाद एक सुझाव प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में है। सरकार इस सुझाव की निरन्तर जांच कर रही है। एक और सुझाव डाकघर के बचत बैंक के ब्याज की दर को बढ़ाने के बारे में है। वह बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा और इस बारे में सरकार निरन्तर जांच कर रही है। श्रीमान मेरे पास यहां एक लम्बी सूची है और यदि आप चाहें तो मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना की संगठनात्मक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त परिवर्तन करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : हम एक केन्द्रीय मंत्रणा समिति गठित करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी घोषणा शीघ्र ही की जायेगी। देश भर में, विशेषकर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के दफ्तरों में और औद्योगिक एककों में सेविंग्स ग्रुप (बचत समूह) स्थापित करने का हमारा विचार है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जमा करने की योजना भी हमने प्रारम्भ की ह। यही मुख्य बातें हैं जिन्हें हमने प्रारम्भ किया है अथवा करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम अधिक विशिष्ट प्रयोजनों के लिये विनियोजन के नए प्रकारों जैसे कि उपहार कूपन आदि के बारे में सोच रहे हैं। इनकी जांच पहले ही से की जा रही है।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या मैं जान सकता हूं कि गैर-सरकारी व्यक्तियों को इस कार्य का भार पूर्ण रूप से सौंप देने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरा ख्याल है कि यह प्रस्थापना व्यवहार्य नहीं होगी।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो २०,००० नये डाकघर खोले जायेंगे उन सब में सेविंग्स बैंकों की भी व्यवस्था होगी या नहीं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : प्रारम्भ में शायद यह संभव नहीं होगा।

†**श्री विभूति मिश्र**: क्या सरकार ने कभी इस सवाल पर विचार किया है कि जब किसी खास योजना के लिये उसे योजना द्वारा कमान्डेड एरिया में स्माल सेविंग्स का पैसा इकट्ठा किया जाय और वहां के लोगों से अपील की जाये, तो उस पैसे को उसी खास योजना के लिये खर्च किया जाये ?

श्री अ० चं० गुह : यह बड़ा कठिन सवाल है। जो कलेक्शन होता है वह सब सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। लेकिन उसमें से आधे के करीब स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसलिये हर एक रीजन के लिये अलग अलग रुपया रखना मुश्किल है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण डाकघरों में सेविंग्स बैंक तेजी से खोलने के उद्देश्य से संचार मंत्रालय से परामर्श किया गया है और क्या इस दिशा में कोई निश्चित कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मुझे विश्वास है कि इस कार्य को तेजी से करने के लिये संचार मंत्रालय द्वारा यथा संभव कार्यवाही की जाएगी।

युद्ध सामग्री कारखाने

†***८५०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि युद्ध सामग्री कारखानों में तेजाब के संयत्रों का उनकी क्षमता के अनुसार पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं की तेजाब सम्बन्धी माँगों को भारत में स्थित विदेशी सार्थों से पूरा किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में इस पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जी, हां, इस समय उनका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) युद्ध-सामग्री कारखानो में लगे हूए गन्धक तथा शोरे के तेजाब के नियंत्र मुख्यतः इन कारखानों में विस्फोटक तैयार करने के लिये हैं। इस समय विस्फोटकों की मांग कम होने के कारण विस्फोटकों के निर्माण के लिये तेजाब के उत्पादन को भी कम कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या हम यह समझें कि विदेशी सार्थों से तेजाब नहीं खरीदा जा रहा और सारी की सारी मांग अपने युद्ध-सामग्री कारखानों से ही पूरी की जाती है?

†**सरदार मजीठिया**: विदेशों से जरा भी तेजाब नहीं मंगाया जाता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या हम विदेशी सार्थों से कोई तेजाब खरीद रहे हैं और यदि हां, तो क्यों?

†**सरदार मजीठिया** : जैसे मैंने कहा है हम जरा भी तेजाब आयात नहीं कर रहे हैं और सारे का सारा तेजाब यहीं पर तैयार कर रहे हैं। उन कारखानों की क्षमता पर्याप्त अधिक है परन्तु हम उनका अधिक उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि शान्ति काल में हमारी आवश्यकतायें उतनी अधिक नहीं होतीं जितनी कि युद्ध काल में। इसीलिये कारखानों में कम उत्पादन किया जा रहा है।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)**: इस सम्बन्ध में मैं एक बात कह देना चाहता हूं। हम विदेशी सार्थों से नहीं खरीद रहे हैं ; हम भारतीय सार्थों से खरीद रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इससे मैं यह समझूं कि आई० सी० आई० जैसे सार्थ, जोकि अधिकांश रूप में ब्रिटीश सार्थ हैं, इस 'भारतीय' शब्द की परिभाषा में सम्मिलित हैं।

†**डा० काटजू** : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री न० मा० लिंगम** : माननीय मंत्री ने कहा है कि केवल विस्फोटकों की मांग को ही पूरा करने के लिये उत्पादन किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी बात है जो सरकार को असैनिक उपभोग्य वस्तुओं का निर्माण करने में बाधक है?

†**सरदार मजीठिया** : हम पहले ही असैनिक वस्तुओं का संभरण कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, हम लगभग ३२४·७ टन गन्धक का तेजाब तथा लगभग ११.९ टन शोरे के तेजाब का संभरण कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: माननीय उपमंत्री ने यह कहा है कि संयत्रों से उनकी क्षमता से कम उत्पादन किया जा रहा है क्योंकि तेजाब की अधिक मांग नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि कारखाने के एक यूनिट को अपने वर्तमान स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है और इस प्रकार से इतना अधिक खर्च किया गया है जब कि वर्तमान क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है?

†**सरदार मजीठिया** : इसका कारण यह है कि गन्धक के तेजाब को सम्बन्धित क्षेत्र से युद्ध-सामग्री कारखाने तक जो इन विस्फोटकों का उत्पादन कर रहा है, ले जाने में बहुत अधिक परिवहन खर्च आता है। यह खर्च लगभग १५३ रुपये प्रति टन है जोकि वहां पर उत्पादित सामान की कीमत के तुल्य है। इसीलिये परिवहन खर्च से बचने के लिये ही हम कारखाने को स्थानान्तरित कर रहे हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में।

१८५७ के स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी

†८५१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री २८ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम शताब्दी को मनाने के लिये कोई कार्यक्रम निश्चित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). विभिन्न राज्य सरकारों, लोक-संस्थाओं और संघटनों आदि से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक प्रारम्भिक कार्यक्रम बना लिया गया है। इस कार्यक्रम पर सोच विचार करने के लिये इसे एक गैर-सरकारी समिति के सामने रखा जायेगा जो कि शीघ्र ही स्थापित की जायेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** वह प्रारंभिक कार्यक्रम किस प्रकार का है और वह गैर-सरकारी समिति कैसी होगी, और क्या उस समिति में भारत के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ?

†**श्री दातार :** हमने सभी राज्य सरकारों से परामर्श लिया है। उस गैर-सरकारी समिति द्वारा किये जाने वाले निर्णयों पर किसी प्रकार की बन्दिश लगाये बिना मैं यह बता देना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें होंगी। झांसी की रानी का एक स्मारक बनाना ; १८५७ में इलाहाबाद तथा लखनऊ में अपने प्राण न्योछावर कर देने वाले व्यक्तियों के स्मरण में एक स्मारक बनाना ; स्वतंत्रता सम्बन्धी एक फिल्म और एलबम का निर्माण करना, शताब्दी मनाने से पहले ही १८५७ के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास पूरा करना, और दिल्ली के किसी केन्द्रीय स्थान में झांसी की रानी के स्मरण में एक पार्क बनाना। ये सभी कार्यक्रम सामान्य कार्यों जैसे प्रभात फेरियों, उत्सवों, गरीबों को खाना खिलाने, ध्वज वन्दना आदि कार्यों के अतिरिक्त हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इन आयोजनों के लिये कोई राशि निर्धारित की गई है, और यदि हां, तो कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**श्री दातार :** इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : इस कार्यक्रम को तैयार करते समय क्या इस सुझाव पर भी विचार किया गया है कि सन् १८५७ के गदर की शताब्दी अच्छे ढंग से इसी प्रकार मनाई जा सकती है कि विदेशी शासकों की जो मूर्तियां हैं, उन्हें समारोह पूर्वक हटा दिया जाये और उनके स्थान पर अपने नेताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी जायें ?

श्री दातार : यह एक अलग प्रश्न है ?

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या सरकार ने रानी कित्तूर चेनाम्मा की एक मूर्ति कर्नाटक में बनाने का निर्णय किया है, क्योंकि उसने १८५७ के आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया था ?

†**श्री दातार :** मुझे ज्ञात हुआ है कि उस महिला के स्मरण में धारवाड़ में एक पार्क बनाया जा रहा है।

प्रतिरक्षा सेनाओं में मद्यनिषेध

†*८५२. **श्री डाभी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २८ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा सेनाओं में मद्यनिषेध लागू करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

†**श्री डाभी** : मद्यनिषेध जांच समिति के अनुसार प्रतिरक्षा सेवाएं भी देश के अन्य लोगों के समान ही मद्य छोड़ने के लिये तैयार हैं। यदि हां, तो क्या सरकार मद्यनिषेध एक दम लागू कर देना चाहती है अथवा धीरे-धीरे ? यदि धीरे-धीरे तो उस काम में कुल कितना समय लग जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य उत्तर यह था कि मामला विचाराधीन है।

†**सरदार मजीठिया** : मामला विचाराधीन है। मैं बता देना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा पिछले सत्रल में सभा को पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है कि प्रतिरक्षा सेवायें मद्यनिषेध के बारे में देश के अन्य लोगों का साथ देने को तैयार होंगी।

†**श्री डाभी** : इसके बारे में कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : मामला विभिन्न राज्य सरकारों, भारत सरकार तथा योजना आयोग के विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि ज्यों ही कोई अन्तिम निर्णय होगा, हम उसका अनुसरण करेंगे।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या मद्यनिषेध को लागू करने के बारे में प्रतिरक्षा सेवाओं के तीनों विभागों के विचार जान लिये गये हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : जी हां, जान लिये गये हैं।

†**श्री ब० द० पांडे** : मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिये।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मद्यनिषेध एक राज्य विषय है और कई राज्यों ने स्पष्टतया यह घोषित कर दिया है कि वे मद्यनिषेध लागू नहीं कर रहे हैं, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस विषय में वे देश के अन्य लोगों का साथ कैसे दे सकेंगे ?

†**डा० काटजू** : माननीय मित्र थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है।

†**श्री टेक चन्द** : क्या सरकार को बम्बई के उच्च न्यायालय के उस निर्णय का ज्ञान है जिसमें उसने कहा है कि किन्हीं परिस्थितियों में सशस्त्र सेनाओं द्वारा मद्यसार पेय का प्रयोग लाभकारी सिद्ध हुआ है ?

†**डा० काटजू** : मुझे उस निर्णय का ज्ञान नहीं है ; यदि उसकी एक प्रति मुझे भेज दी जाये तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

छावनियों की भूमि

*८५३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनियों के भूमि-सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के लिये क्या कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णयों और संशोधित नियमों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लग जायेगा ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जी, हां। लगभग सभी मुख्य समस्याओं पर फैसले हो चुके हैं।

(ख) एक विस्तृत विवरण शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो निर्णय किया गया है इसकी एक प्रति ज्यादा से ज्यादा कितनी देर तक सभा-पटल पर रख दी जाएगी और कब से इसे लागू समझा जाएगा ?

सरदार मजीठिया : यह इसी सैशन में सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय त्यागी जी ने जो ढांचा तैयार किया था उसी के आधार पर ये सुधार किए जा रहे हैं या उसमें कोई खास तबदीली कर दी गई है ?

सरदार मजीठिया : उसी के आधार पर ये फैसले किए गए हैं लेकिन थोड़ी बहुत तबदीली तो की ही गई है।

समुद्रपार क्षात्र-वृत्ती योजना

†*८५४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "पूर्णदत्त समुद्रपार-छात्रवृत्ति योजना" के अधीन अभ्यर्थियों को चुनने का कौन सा माध्यम है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** योजना के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इस समय कितने प्रकार की समुद्रपार-छात्रवृत्तियां हैं ?

†**डा० म० मो० दास:** वे एक से अधिक प्रकार की हैं। इस योजना के अतिरिक्त समुद्रपार छात्र-वृत्तियों के बारे में एक और भी पुर्नवर्तित योजना है जोकि विशेषकर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं के शिक्षकों और प्राफेसरों के लिये है। इसके अतिरिक्त, मेरे विचार में, उन प्रविधिक विद्यार्थियों को भी छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं, जो कि स्नातकोत्तर शिक्षा तथा व्याव-हारिक प्रशिक्षण के लिये पश्चिमी जर्मनी को जाते हैं।

†**पंडित द्वा०ना० तिवारी :** छात्र-वृत्तियों के लिये अभ्यर्थी किस आधार पर चुने जाते हैं और वर्तमान पद्धति तथा प्रस्तावित "पूर्णदत्त समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना" में क्या अन्तर होगा।

†**डा० म० मो० दास :** पद्धति में कोई विशेष अन्तर नहीं है। दो प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं। एक तो पुर्नावर्तित समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना, जो कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिये हैं। केन्द्रीय सरकार सारी राशि नहीं देती। ५० प्रतिशत तो केन्द्रीय सरकार देती है और ५० प्रतिशत उन्हें भेजने वाली संस्था, अर्थात् विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थायें देती हैं। परन्तु शर्त यह है कि अभ्यर्थी कहीं पर कर्मचारी अवश्य हो।

वे छात्रवृत्तियां, जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया है, योग्य नवयुवकों के लिये हैं और उसक एक भिन्न उद्देश्य है जो कि वर्तमान योजना से पूरा नहीं हो सकता है। ये छात्रवृत्तियां उन लोगों को दी जायेंगी जो कि कहीं काम नहीं कर रहें हैं और उनकी आयु २० से लेकर २५ वर्ष तक है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इस नयी योजना के अधीन कितनी छात्रवृत्तियाँ देने का विचार है?

†**डा० म० मो० दास :** २०।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री धुसिया :** माननीय मंत्री का यह कहना है कि वे छात्रवृत्तियाँ योग्य नवयुवकों के लिये हैं। उन नवयुवको की आयु कितनी होनी चाहिये ?

†**डा० म० मो० दास :** मैंने पहले ही कह दिया है कि उनकी आयु २० से २५ वर्ष के अन्दर अन्दर होनी चाहिये।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

†***८५५. श्री स० चं० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८५७ के भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की हस्तलिपि की एक प्रति सरकार को अर्पित कर दी गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक हो जाने की आशा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या प्राप्त सामग्री को १८५७ के भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की शताब्दी मनाने के समय पर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री जी ने इस प्रकार के एक प्रश्न का अभी अभी उत्तर दिया है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या सरकार ने १८५७ के स्वतन्त्रता आन्दोलन सम्बन्धी उस सामान को प्राप्त करने के लिये रूसी सरकार से प्रार्थना की है जो कि उस सरकार के पास है ?

†**डा० म० मो० दास :** उस पुस्तक को लिखने की सारी जिम्मेवारी डा० एस० एन० सेन को दी गयी थी, सारी जिम्मेवारी उसी की थी।

जहां तक रूसी सरकार का सम्बन्ध है, उस सरकार से एक यह प्रार्थना आई है कि उनके दो विद्वानो को भारत आकर कुछ एक दस्तावेजों का परीक्षण करने की अनुमति दी जाये। हमने रूसी सरकार को अनुमति दे दी है कि वे आकर उन दस्तावेजों का परीक्षण कर सकते हैं और हम उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्रदान करेंगे परन्तु वे विद्वान अभी तक पहुंचे नहीं है।

†**श्री कामत :** क्या सरकार ने नाना साहिब पेशवा की १८५७ के बाद की गतिविधियों के सम्बन्ध में छानबीन की है, जिनके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि वे अंग्रेजों के हाथों से बच कर नेपाल चले गये थे ?

†**डा० म० मो० दास :** जहां तक स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के लिखने का सम्बन्ध है, सरकार ने इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार किया है और उसने इस सम्बन्ध में यथा संभव अधिक से अधिक सामग्री एकत्रित करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार इसे एक ही अंक में प्रकाशित करेगी अथवा छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में ?

†**डा० म० मो० दास :** यह एक ही अंक में प्रकाशित होगा जिसके ५०० पृष्ठ हैं और उसके प्रकाशन के लिये एक अंग्रेजी सार्थ को काम सौंप दिया गया है। वह सार्थ इसे इस आन्दोलन शताब्दी से पहले ही प्रकाशित कर देगा।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या राष्ट्र भाषा हिन्दी में भी इसका अनुवाद होगा ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० म० मो० दास :** उस पर बाद में विचार किया जायेगा।

†**श्री ब० द० पांडे :** क्या उस पुस्तक में सारे भारत का ही वर्णन होगा, अथवा विभिन्न राज्यों का वर्णन विभिन्न अंको में प्रकाशित होगा ?

†**डा० म० मो० दास :** केवल एक ही अंक होगा जिसमें ५०० पृष्ठ होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह देश के इतिहास या भूगोल के समान नहीं है, यह स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास है।

†**श्री साधन गुप्त :** इस अत्यन्त दुखद उपहास का कारण क्या है कि भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास एक अंग्रेजी सार्थ से प्रकाशित कराया जा रहा है ? क्या इस काम के लिये कोई भारतीय सार्थ उपलब्ध न था ?

†**डा० म० मो० दास :** यह स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास नहीं है; यह १८५७ के विद्रोह का इतिहास है, जो सेन्यद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस कार्य को एक विदेशी साथ को सौंपने में क्या विशिष्ट लाभ हैं ?

†**डा० म० मो० दास :** मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्री रा० श्री० दीवान :** क्या माननीय उपमंत्री कृपया अपने उत्तर में शुद्धि करके उसे "विद्रोह" न कह कर "स्वतंत्रता युद्ध" कहेंगे ?

†**डा० म० मो० दास :** मैंने १८५७ के विद्रोह का इतिहास कहा था। जो सेन्यद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। सभी उस से सहमत हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस सम्बन्ध में विचारार्थ एक सुझाव है। प्रश्न में भी "स्वतंत्रता आन्दोलन" कहा गया है और इस लिये उपमंत्री भी इसे "स्वतंत्रता का समर" क्यों न कहें ?

पटियाला में इंजीनियरिंग कॉलिज

† ***८५६. श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा** मंत्री २५ अप्रैल, १९५६ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या १४५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटियाला में एक इंजीनियरिंग कॉलिज स्थापित करने से संबंधित योजना का क्या सरकार अब पर्यवेक्षण कर चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां।

(ख) प्राविधिक शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद् की सिफारिश पर सरकार ने पटियाला में एक इंजीनियरिंग कॉलिज स्थापित करना स्वीकार कर लिया है। यह कॉलिज 'थापर इन्स्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलोजी' कहलाएगा और इस में प्रारम्भ में सिविल, इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनीकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा का प्रबन्ध होगा।

†**सरदार इकबाल सिंह :** सरकार ने इस संस्था को कुल कितनी रकम का देना स्वीकार किया है ?

†**डा० म० मो० दास :** जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है अभी राशि निश्चित नहीं की गई है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**सरदार इकबाल सिंह:** इस संस्था के लिये अनुदान के संबंध में क्या पैप्सू सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई प्रार्थना की है ?

†**डा० म० मो० दास :** जहां तक अनावर्तक व्यय का संबंध है पैप्सू सरकार ३० लाख रुपये देगी। जहां तक प्रथम तीन वर्षों के लिये आवर्तक व्यय का संबंध है पैप्सू सरकार प्रतिवर्ष ३ लाख रुपये देगी और फिर यदि आवश्यक हुआ तो बाद के नौ वर्षों के लिये २ लाख रुपये दिए जायेंगे।

मुद्रास्फीति

† *८५७. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रास्फीति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ; और

(ख) उन के परिणाम क्या हैं ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह):** (क) और (ख). यद्यपि पिछले वर्ष दाम चढ़ गए तथापि किसी सामान्य मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति के विकास की चर्चा करना गलत और समय से पहले की बात होगा। दामों में हाल ही की वृद्धि मुख्यत: कृषिपदार्थों तक ही सीमित रही है और इससे पहले १९५४–५५ में, जबकि कृषि उत्पादकों के लिये दामों को अलाभकारी समझा जाता था, कीमतें गिर गई थीं ; यह वृद्धि अधिकांशत: उस कमी के एक शोधक के रूप में हुई है। यह मानना पड़ेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, विकास प्रयोजनों के लिये उसके बृहद उद्व्यय से, अर्थव्यवस्था पर एक प्रसारी प्रभाव होगा। सरकार स्थिति पर सतर्क तथा निरन्तर दृष्टि रख रही है। जो अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की गई हैं उन में ये भी हैं ; अनाज, कपड़े आदि का उत्पादन बढ़ाना ; धान्य और दालों के निर्यात बर पाबन्दी लगाना, अनाज तथा लोहा और इस्पात, सीमेंट, कपास आदि जैसी अन्य वस्तुओं के अधिकतम आयात के लिये प्रबन्ध करना, रक्षित रखे गए अनाज और चीनी का विक्रय और अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुछ प्रकार के अग्रिम धन को निर्बन्धित करने के लिये रक्षित बैंक द्वारा की गई कार्यवाही। मैं लोक-सभा को विश्वास दिलाता हूं कि सामान्य स्फीतिकारी तथ्यों को जोर पकड़ने से रोकने के लिये समय समय पर जो भी कार्यवाहियां आवश्यक होंगी वे की जायेंगी।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा:** इस बात के होते हुए भी कि सरकार ने ये सभी कार्यवाहियां की हैं, मैं यह जानता चाहता हूं कि क्या मूल्य-स्तर में वृद्धि हुई है या कमी हुई है।

†**श्री अ० चं० गुह :** कुछ समय तक रोक रही थी; परन्तु मेरे विचार में पिछले दो महीनों में, कुछ वृद्धि हुई है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** नई परियोजनाओं का निर्माण-कार्य करने वाले ठेकेदारों के हाथों में लाभ की जो बड़ी राशियां हैं उन्हें फिर से किसी काम में लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह :** मेरे विचार म आयकर के रूप में उनकी आय का एक उचित अंश हम लेते हैं। हम लोक-विपणि तथा लघु संचय से भी ऋण लेने का प्रयत्न करते रहे हैं। मेरे विचार में माननीय सदस्य यह बात अवश्य जानते ही होंगे कि हमारी करारोपण की व्यवस्था ऐसी है कि जिसका उच्चतर आय वर्गों पर एक प्रकार का भेदभाव युक्त प्रभाव है वह भी उनकी आय का एक भाग ले लेता है।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भी मुद्रास्फीति के प्रभावों को रोकने के लिये सरकार के विचाराधीन कोई कार्यवाही है ? यदि हां, तो वह कार्यवाही किस प्रकार की होगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अ० चं० गुह:** मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार मु ास्फीति को रोकने के लिये सभी आवश्यक कार्यवहियां करेगी। यदि माननीय सदस्य योजना आयोग के प्रतिवेदन को पढ़ें तो वह देखेंगे कि सरकारा विकास परियोजनाओं पर खर्च होने वाली रकम के कारण मुद्रास्फीति के खतरे के बारे में भली भांति जागरूक है; और प्रतिवेदन में कुछ पूर्वावधायी तथा शोधक कार्यवाहियां करने के लिये भी चर्चा की गई है।

†**श्री च०द० पांडे:** क्या सरकार को मालूम है कि मुद्रास्फीति का एक चिन्ह यह है कि न्यूयार्क और लन्दन में हमारे रुपये को पहले से काफी कम मूल्य पर उद्धृत किया जा रहा है? इसके अतिरिक्त क्या सरकार को मालूम है कि उपरिसदन में जो यह विधान लम्बित है कि रक्षित स्वर्ण की मात्रा कम कर देनी चाहिये, इसका संसार में रुपये की स्थिति पर हानिकारक प्रभाव होगा?

†**श्री अ० चं० गुह:** मेरे विचार में यह जानकारी ठीक नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** इस तथ्य को देखते हुये कि अनाज का मूल्य स्तर इतना अस्थिर हो गया है और इस से स्फीतिकारी अर्थव्यवस्था का स्पष्ट संकेत मिलता है, क्या मैं जान सकती हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में घाटे की अर्थ व्यवस्था के लिये जो लक्ष्य नियत किया गया है, क्या उसे वाजार में प्रवर्तमान इन प्रकृतियों के कारण बदलना होगा?

†**श्री अ०चं० गुह:** मेरे विचार में माननीय सदस्य को यह भी मालूम होना चाहिये कि उन्होंने जो सुझाव दिया है उसका तात्पर्य भी योजना में बताए गए विकास व्यय को कम करने से है। मैं कह नहीं सकता कि क्या लोक-सभा इस से सहमत होगी।

†**कुछ माननीय सदस्य:** नहीं, नहीं।

†**श्री अ० चं० गुह:**... परन्तु, इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य तथा लोक-सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक घाटे की अर्थ व्यवस्था में निरत होना पूर्णतः आवश्यक न होगा तब तक सरकार ऐसी कोई कार्यवाही न करेगी और उस समय भी सरकार इसे न्यूनतम स्तर पर रखने का प्रयत्न करेगी।

छात्रावासों के निर्माण के लिये ऋण

†***८५८. श्री झूलन सिंह:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्ष की अवधि में छात्रावासों के निर्माण के लिये ऋण देने की योजना से गैर-सरकारी संस्थाओं को क्या लाभ हुआ है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** छात्रावास के निर्माण के लिये १९५४–५६ वर्षों की अवधि में ४९ गैर-सरकारी संस्थाओं को ८९.९७ लाख रुपये के ऋण दिए गए थे।

†**श्री झूलन सिंह:** उन ऋणों से सम्बद्ध निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** एक योजना से दूसरीयोजना की शर्तें कुंछ भिन्न हैं। साधारणतया ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा और कुछ बार उन्हें २५ किस्तों में और कुछ बार ३३ किस्तों में वापिस किया जा सकता है।

†**श्री श्रीनारायण दास:** जिन गैर-सरकारी संस्थाओं को इस योजना से लाभ होता है उनके वर्ग क्या हैं?

†**डा० का०ला० श्रीमाली:** सभी प्रकार की संस्थायें हैं—उच्च शिक्षा की संस्थायें,प्राविधिक शिक्षा के लिये संस्थायें और बुनियादी प्रशिक्षण कॉलिज आदि।

†**चौ० रघुवीर सिंह:** उत्तर प्रदेश में किन संस्थाओं को ऋण दिया गया है?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**डा० का०ला०श्रीमाली:** दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलिज, हेवट इंजीनियरिंग स्कूल,लखनऊ, दी सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ तथा रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सीटी, रुड़की।

†**श्रीमती अ० काले:** इस बात को देखते हुए कि महिलाओं की संस्थाओं को सहायता के बिना इन्हें चलाने में कठिनाई होती है, क्या इन संस्थाओं को अधिमान दिया जाएगा ?

†**डा० का०ला० श्रीमाली:** शर्त यह है कि जिस योजना के अन्तर्गत साधारणतया ऋण दिए जाते हैं वे उसके अधीन आती हों ।

†**श्री खू० चं० सोधिया:** क्या सरकार को उन संसाधनों का पता है जिनसे इन संस्थाओं को जो ऋण दिए गए हैं उन्हें ये संस्थायें वापिस कर सकती हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** इसका उत्तरदायित्व ऋण लेने वाली संस्थाओं पर है। मुझे आशा है कि वे छात्रावास में रहने वालों से जो फीस लेते हैं उस में से ऋण वापिस कर सकते हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति:** क्या मैं जान सकता हूं कि कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, किन संस्थाओं को अनुदान दिए गए हैं और इसके लिये आधार क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री सूची प्रस्तुत करेंगे ।

पाठ्य-पुस्तकें

† *८५९. **श्री गिडवानी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के चुनने और प्रकाशन के संबंध में जो सिफारिशें की गई हैं क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) (१) क्रियान्वित के लिये आयोग की सिफारिशें राज्य सरकारों को बता दी गई हैं ।

(२) मंत्रालय में पाठ्य-पुस्तक गवेषणा का एक विभाग स्थापित किया गया है ।

(३) पाठ्य-पुस्तकों और पाठ्यक्रम के निर्धारण सम्बन्धी गवेषणा के बार में प्रशिक्षण कॉलिजों तथा शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों को सहायता देने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपबन्ध किया गया है ।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार का ध्यान आयोग के इस अवलोकन की ओर आकर्षित हुआ है, कि "जिस कागज का उपयोग किया जाता है वह साधारणतया खराब होता है, छपाई असन्तोष-जनक होती है, चित्र आदि घटिया होते हैं और छपाई की अत्याधिक गलतियां होती ह ", और यदि हां, तो सरकार ने इन मामलों में सुधार के संबंध में क्या कार्यवाहियां की हैं ?

†**डा०का० ला० श्रीमाली :** सरकार न इन सिफारिशों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया था और राज्य सरकारों ने पाठ्य-पुस्तकों आदि में इन में से कुछ विद्यमान कमियों को दूर करने के लिये पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण जैसी विभिन्न कार्यवाहियां की हैं ।

†**श्री गिडवानी :** क्या यह सच है कि आयोग ने इस बात का संकेत किया है कि प्रकाशकों का न केवल पाठ्य-पुस्तकों में निहित स्वार्थ होता है बल्कि वे पाठ्य-पुस्तकों के चुनाव में हस्तक्षेप करने के भी दोषी हैं, और यदि ऐसा है तो इस का उपचार क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** जैसा कि मैं बता चुका हूं आयोग की ये सभी सिफारिशें राज्य सरकारों को बता दी गई थीं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि बिहार, भोपाल, मध्यप्रदेश,

† मूल अंग्रेजी में ।

पंजाब, राजस्थान, त्रावन्कोर-कोचिन, उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश राज्यों द्वारा पहले ही कुछ पाठ्य-पुस्तकें राष्ट्रीयकृत की जा चुकी हैं और छपाई, कागज तथा विभिन्न अन्य मामलों के संबंध में हमारी पाठ्य-पुस्तकों में जो त्रुटियां विद्यमान हैं उन्हें दूर करने के लिए वे प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** सरकार द्वारा जो पाठ्य-पुस्तक गवेषणा विभाग स्थापित किया गया है क्या उसने अब तक कोई काम किया है और यदि कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया ह तो क्या उसे राज्यों को परिचालित किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** पाठ्य-पुस्तक गवेषणा विभाग ने कुछ पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है और अब तक जो कार्य किया गया है उसके संबंध में हम दो पुस्तिकायें प्रकाशित करने की प्रस्थापना कर रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद :** चूंकि पुस्तकों के चुनाव का उत्तरदायित्व सदैव राज्य सरकारों पर रहा है और राज्य सरकारों को सभी सिफारिशें प्रतिवेदित की जा चुकी हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि विभाग का यथार्थतम स्वरूप क्या है और वह राज्य सरकारों की किस प्रकार सहायता कर रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक विभाग पाठ्य-पुस्तकों से संबंधित विभिन्न मामलों में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये है। अब तक हम ने पाठ्य-पुस्तकों की पसन्द तथा चुनाव के लिए सामान्य सिद्धान्तों के संबंध में राज्य सरकारों को मंत्रणा दी है : पाठ्य-पुस्तक विभाग ने प्रारम्भिक स्तरों के लिये विभिन्न विषयों में उपयुक्त पुस्तकों की ग्रन्थसूचियां भी तैयार की हैं और इन्हें राज्य सरकारों को भेजा गया है। हमे ने पाठ्य-पुस्तकों के प्रतिरूप,आकार तथा चुनखकी संबंध में भी राज्य सरकारों को मंत्रणा दीं है। हमें राज्य सरकारों से जो पुस्तकें प्राप्त होती है कुछ बार पाठ्य-पुस्तक विभाग ने उन पुस्तकों का पुर्नावलोकन भी किया है। यह विभाग विभिन्न प्रकार के उपायों से राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है और भविष्य में भी उनकी सहायता कर सकता है।

सार्वजनिक व्यय

†*८६०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री १२ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३८८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक व्यय के प्रश्न की जांच करने के लिये मंत्रियों तथा योजना आयोग के उप सभापति की एक उच्च सत्ताधारी समिति नियुक्त की गयी है ;

(ख) क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह) :** (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा योजना परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक समिति स्थापित करने का समर्थन किया जा चुका है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह वचन वित्त मंत्री द्वारा आय-व्ययक भाषण में दिया गया था और उस मामले पर अभी तक विचार हो रहा है ?

†**श्री म० च० शाह :** वित्त मंत्री ने यह बताया था कि एक समिति नियुक्त की जायेगी जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा समर्थन प्राप्त करना होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में उसके सामने प्रस्थापना रखी गयी और परिषद् ने उसका अनुमोदन किया था। इसलिये समिति स्थापित कर दी। पहली अगस्त से सचिवालय स्थापित कर दिया गया है और अब काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

+ मूल अंग्रेजी में।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इस समिति के कार्य निष्पादन का कोई अंतिम कार्यक्रम बना लिया गया है, यदि हां तो वह क्या है ?

†**श्री म० च० शाह** : जैसा कि कराधान जांच समिति द्वारा सुझाव दिया गया था और जैसा वित्त मंत्री ने अपने आयव्ययक भाषण में केन्द्र तथा राज्य सरकारें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के खर्चों की जांच करने का वचन दिया गया था, एक उच्च सत्ताधारी समिति स्थापित कर दी गयी है अतः इस समिति का उद्देश सरकारी और गैर-सरकारी पदाधिकारियों के कुछ एक दलों को नियुक्त करना होगा जोकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं के खर्चों का निरीक्षण तथा परीक्षण करेंगे और बाद में उनमें समन्वय स्थापित करेंगे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या यह समिति रेलवे और डाक तथा तार के संचालन व्यय के परीक्षण के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

†**श्री म० च० शाह** : यदि वे विभाग परियोजनाओं के अधीन आते हैं, तो निश्चय ही उन पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री कामत** : क्या इस सम्बन्ध में, इस बात का अनुमान लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है कि कुल खर्च में से कितने प्रतिशत धन अपव्यय, व्यय तथा भ्रष्टाचार में गया है ?

†**श्री म० च० शाह** : माननीय सदस्य द्वारा यही प्रश्न पहले भी पूछा गया था ।

†**श्री कामत** : परन्तु उसका उत्तर नहीं दिया गया था ।

†**श्री म० च० शाह** : अपव्यय के प्रतिशतक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । वे खर्च की जांच करेंगे और फिर बतायें कि क्या कोई धन व्यर्थ में व्यय हुआ है । वे उस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, और यदि कहीं कोई व्यर्थ का खर्च हुआ तो वह सुझाव देंगे कि वह व्यय कैसे रोका जा सकता है, उसमें कैसे बचत की जा सकती है और उन परियोजनाओं के प्रशासन के लिये जितनी राशि मंजूर की गयी है उनका कैसे सर्वोतम उपयोग किया जा सकता है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राक्कलनों तथा वास्तविक खर्च में इतने भारी अन्तर का यह कारण है कि वे प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण है । यह समिति उस असमता को दूर करने के लिये उसके मूल कारणों की खोज करेगी ?

†**श्री म० च० शाह** : निश्चय ही समिति उन की जांच पड़ताल करेगी, परन्तु माननीय सदस्य का वक्तव्य ठीक नहीं है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह उच्च सत्ताधारी समिति सभी मंत्रालयों के सम्बन्ध में परीक्षण करेगी अथवा केवल कुछ एक परीयोजनाओं का?

†**श्री म० च० शाह** : सभी प्रशासनीय मंत्रालयों के बारे में सभा अच्छे प्रकार से जानती है कि वित्त मंत्रालय में पहले ही एक पुनर्गठन यूनिट है जिसमें वित्त मंत्रालय का संयुक्त सचिव, दो उप-सचिव एक वित्त मंत्रालय का और दूसरा गृह-कार्य मंत्रालय का, तथा दो और सचिव एक वित्त मंत्रालय का और दूसरा गृह-कार्य मंत्रालय का हैं, जो कि इन सभी प्रशासनीय मंत्रालयों के खर्चों का परीक्षण करता है और जैसा मैंने पहले ही कहा है नौ मंत्रालयों का परीक्षण किया जा चुका है और कई अन्य मंत्रालयों का भी परीक्षण किया जा रहा है । अन्तिम प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा और फिर अन्य मंत्रालयों का काम भी प्रारम्भ कर दिया जायेगा । अब वह काम इस उच्च सत्ता-धारी समिति को भेज दिया जायेगा । उच्च सत्ताधारी समिति का मुख्य काम केन्द्र तथा राज्यों द्वारा स्वीकृत की गयी परियोजनाओं के खर्चों का परीक्षण करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभा की यह उत्सुकता स्वाभाविक ही है और उचित भी है कि खर्च को कम किया जाये और कोई व्यर्थ का व्यय न हो, परन्तु मैं माननीय सदस्यों का ध्यान श्री एपलवाई के हाल के ही प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसे, आशा है, कि शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। यह एक अत्यन्त रुचिकारक प्रतिवेदन है जिसमें यह बताया गया है कि व्यर्थ के व्ययका प्रमुख कारण मंजूरी देने को उलझी हुई विलम्बकारी प्रणाली है। विलम्ब से बढ़ कर और कोई चीज अधिक महंगी नहीं है। उदाहरणार्थ यदि आप किसी विशेष प्रक्रिया को अपनाते हुए ५०,००० रुपया बचाने का प्रयत्न करते हैं परन्तु उस से आपकी उस परियोजना का काम रुक जाता है जिस पर प्रतिदिन १० लाख रुपया खर्च आरहा है तो उससे काम में रुकावट तो पड़ेगी परन्तु उसके साथ ही साथ नुकसान भी बड़ा भारी होगा। हमारा काम अब ज्यों ज्यों बढ़ रहा है त्यों-त्यों हमारी परियोजनाओं की संख्या भी बढ़ रही है, और हमारा दृष्टिकोण यह है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से उसमें हस्तक्षेप कम से कम हो ; निश्चय ही लेखा परीक्षण आदि के सम्बन्ध में तो वह बहुत सावधान रहेगी, परन्तु अन्य बातों में हस्तक्षेप बहुत कम होगा। कदाचरण वाले व्यक्ति को तो अवश्य दण्ड दिया जाये परन्तु काम किसी हालत में भी रुकना नहीं चाहिये।

वास्तव में, श्री एपलबाई ने अपने प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध में संसद् का भी उल्लेख किया है।

†**श्री कामत:** निकोलस कालडोर के प्रतिवेदन के बारे में क्या है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्रधान मंत्री ने कहा है कि परियोजना की कार्यान्वित में देरी हो जाने का कारण यह है कि उन के लिये वित्त की मंजूरी देने में इतनी अधिक देरी लग जाती है। अब इस प्रश्न का सम्बन्ध सरकार के वित्तीय नियंत्रण के सारे प्रश्न से है। क्या सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के प्राक्कलन पर रखे जाने वाले इस वित्तीय नियंत्रण के सारे प्रश्न पर फिर से विचार करेगी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वित्त के विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया है, विचार किया जा रहा है और उसे कुछ सीमा तक लागू भी किया जा रहा है।

हिन्दी संस्थाओं को अनुदान

†*८६१. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिये गैर-सरकारी संस्थाओं को किस आधार पर धन वितरित किया जाता है ; और

(ख) इस धन के वितरण की प्रणाली क्या है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा०का०ला० श्रीमाली)** :(क) और (ख).यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय की पुस्तिका "हिन्दी के विकास तथा प्रचार का कार्यक्रम" में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

†**चौ० रघुबीर सिंह:** उत्तर प्रदेश की किस-किस गैर-सरकारी संस्था को ये अनुदान दिये गये है?

†**डा० क० ला० श्रीमाली** : यह जानकारी भी उसी पुस्तिका में दी हुई है जिसका मैने उल्लेख किया है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि साउथ इंडिया के एक महानुभाव ने कहा है कि कहां हिन्दी का प्रचार बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यह महानुभाव कौन हैं?

---

† मूल अंग्रेजी में।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : हिन्दी का प्रचार साउथ इंडिया में ठीक तरह से नहीं हो रहा है।

डा० का० ला० श्रीमाली : साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, मैंने नहीं सुना ।

क्विलोन में सार्वजनिक जांच

†*८६२. **डा० रामा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन (त्रावनकोर-कोचीन) के जिला कलक्टर ने मई १९५६म (क्विलोन जिले) के मनीमाला नामक स्थान पर एक सशस्त्र भीड़ द्वारा कृषकों पर हुए आक्रमण के बारे में कोई सार्वजनिक जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्ति और निर्णय क्या है ; और

(ग) उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) जांच का प्रतिवेदन अभी तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**डा० रामा राव** : क्योंकि वह एक दण्डय अपराध था, इसलिये क्या उस दुर्घटना के बाद शीघ्र ही कोई गिरफ्तारी भी की गयी थी ?

†**श्री दातार** : क्योंकि मामला जांच पदाधिकारी के सामने है, हम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे ह। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही मैं आपको पूरे पूरे तथ्य बता सकूंगा।

†**डा० रामा राव** : परन्तु केन्द्रीय सरकार ही त्रावनकोर-कोचीन का प्रशासन चला रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब उन्हें उस बात का ज्ञान ही नहीं तो फिर बतायें कैसे ।

†**श्री नम्बियार** : इतनी अधिक देर लग जाने का क्या कारण है ? त्रावनकोर-कोचीन से सम्बन्ध रखने वाले लगभग प्रत्येक प्रश्न में इतनी देर लग जाती है । क्या इस प्रकार की देरी को कम कर के काम जल्दी से नहीं किया जा सकता?

†**श्री दातार** : पहली बात तो यह है कि मैं किसी भी विलम्ब सम्बन्धी समस्यात्मक प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। यदि किसी विषय में देरी हुई भी है तो उसका आवश्यक कोई कारण होगा। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, यह जांच पदाधिकारी के सामने है और उसका प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ही हम सारे तथ्य बता सकेंगे।

†**श्री नम्बियार** : यह पन्द्रहवां प्रश्न है जिसके उत्तर में विलम्ब हुआ है।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : देर महंगी पड़ती है।

†**श्री नम्बियार** : त्रावनकोर-कोचीन के लिये विशेषतया।

†**श्री कामत** : ठीक यही बात प्रधान मंत्री ने अभी बताई है।

सरकारी कर्मचारी

†*८६३. **श्री अ० म० थामस** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों को, जो कि उन राज्यों में सेवा कर रहे थे जो बाद में पाकिस्तान में मिला दिये गये थे, और जो कि भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर काम कर र थे, भारत के लिये अपना विकल्प देने तथा निष्ठा की शपथ लेने के लिये कहा गया था ;

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या उनके विकल्प को अभिस्वीकार कर लिया गया है और यदि हां तो उनके निवृत्ति वेतनों तथा अन्य दावों को कैसे पूरा किया गया है ;

(ग) उनकी भविष्य निधि तथा उनकी शेष अन्य राशियों का क्या बना है ;

(घ) क्या पाकिस्तान की सेना में भी इसी प्रकार के व्यक्ति हैं ;

(ङ) १ भारत सरकार की सेवा में तथा (२) पाकिस्तान सरकार की सेवा में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के नाम दावों की कुल लगभग कितनी राशि है ;

(च) सरकार इन मामलों को कैसे सुलझाना चाहती है ; और

(छ) क्या विकल्प लेते समय उन्हें कोई ऐसा आश्वासन दिया गया था कि उनके अधिकारों और दावों की रक्षा की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क), (ख), (ग), (च) और (छ). विभाजन परिषद के निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया था कि वे पाकिस्तान में सेवा करें अथवा भारत में। यह विकल्प उन पदाधिकारियों पर लागू नहीं होता जो कि अविभाजित प्रान्तों में सेवा कर रहे थे। और विभाजन के समय केन्द्र में प्रतिनियुक्त थे ; तो भी किसी भ्रांति के कारण उन प्रतिनियुक्त लोगों से भी विकल्प ले लिया गया। अतः उसे बाद में अभिस्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वह मूलतः गलत था। उनके निवृत्ति वेतनों, भविष्य निधियों तथा अन्य दावों के बारे में पाकिस्तान सरकार से बात चीत चल रही है। जब तक पाकिस्तान सरकार से अन्तिम फैसला नहीं हो जाता, इस प्रकार के निवृत्त व्यक्तियों को अस्थायी रूप से नियुक्ति वेतन दिये जा रहे हैं।

(घ) जी, हां। परन्तु उनकी संख्या ज्ञात नहीं है।

(ङ) ज्ञात नहीं है।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या सरकार यह बता सकती है कि इन का कितने पदाधिकारियों पर असर पड़ा है और क्या उनमें से कोई पदाधिकारी निवृत्त भी हुये हैं।

†**श्री दातार** : मुझे आशा है कि कई पदाधिकारी निवृत्त हो चुके होंगे। परन्तु कठिनाइयों को कम करने के लिये हम उन्हें ९० प्रतिशत निवृत्ति वेतन दे रहे हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : इस मामले को भी निष्काम्य सम्पत्ति के मामले के समान ही समझ लेने में और उनके कल्याण सम्बन्धी कोई विधान बनाने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री दातार** : इसका सम्बन्ध तो विस्थापित सरकारी कर्मचारियों से है। वे पहले उन प्रान्तों में सेवा कर रहे थे जो कि अब पाकिस्तान में हैं। उसलिये उनका मामला उन लोगों से बिल्कुल भिन्न है जो कि केन्द्रीय सरकार में काम कर रहे थे और जिन्हें भारत अथवा पाकिस्तान में सेवा करने के सम्बन्ध में विकल्प देने का अधिकार दिया गया था।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या इस बात का विनिश्चय करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा भविष्य निधि अथवा अन्य रूपों में ठीक-ठीक कितनी राशि दी जायेगी ?

†**श्री दातार** : इन सभी प्रश्नों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

कोयले के नये निक्षेप

† *८६४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सरगूजा जिले में कोयले के नये निक्षेप मिले हैं ;

† मूल अंग्रेजी

(ख) यदि हां तो उस कोयले की खोज करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ; और

(ग) वहां पर कोयले की लगभग कितनी मात्रा होगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३०**]

अलमोड़ा छावनी

†*८६५. **श्री ब० द० पांडे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ के उत्तर के सम्बन्ध में तथा अलमोड़ा छावनी को असैनिक प्राधिकारियों को सौंप देने के बारे में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बारे में कोई निर्णय हो गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : छावनियों में विद्यमान भूमि-नीति को बदलने से सम्बन्ध रखने वाली लगभग सभी बातों पर निर्णय हो गया है। शीघ्र ही एक सविस्तर विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

जहां तक अलमोड़ा छावनी की अधिसूचना को रद्द करने का सम्बन्ध है, वह मामला अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है और संभवत: उसका अन्तिम फैसला इस मास के अन्त तक हो जायेगा।

†**श्री ब० द० पांडे** : २५ अप्रैल को, उपमंत्री जी ने अलमोड़ा के बारे में यह कहा था कि :

"यह बहुत सुन्दर स्थान है, परन्तु वह इतना दूर है और संचार इतना कठिन है कि मैं समझता हूं कि छावनी को शीघ्र से पुन: बसाना संभव नहीं है।"

वहां पर कर लगाये जा रहे हैं परन्तु लोगों को सुविधायें नहीं दी जा रही हैं । लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है । अत: मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस के बारे में शीघ्र ही निर्णय करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि आवश्यक जानकारी दे दी गयी है ।

चोरी छिपे सोना लाना व ले जाना

†*८६६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब से भारत सरकार ने भारत में पुर्तगाली वस्तियों की सीमा पर नाका बंदी की है, तब से भारत-पाकिस्तान सीमा पर अटारी में पाकिस्तान से चोरी छिपे सोना लाना बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो चोरी छिपे माल लाने व ले जाने को रोकने के लिये सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) १९५६ में कितना सोना पकडा गया और अपराधियों को क्या दंड दिये गये;

(घ) क्या यह सच है कि भारत में बहुत बडी मात्रा में चोरी छिपे सोना लाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि मध्यपूर्व के देशों में और पाकिस्तान में भारतीय मुद्रा का अधिक महत्व है ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) सरकार के पास प्राप्य सूचना से विदित होता है कि जब से भारत सरकार ने भारत में पुर्तगाली बस्तियों की सीमा की नाकाबंदी की है तब से भारत पाकिस्तान की सीमा पर अटारी में पाकिस्तान से चोरी छिपे आने वाले सोने में वृद्धि हो गई है ।

(ख) इस सीमा के पार ऐसे चौर्यानयन को रोकने के लिये सरकार ने पहिले से विद्यमान निरोधक उपायों को तीव्र कर दिया है ।

(ग) चालू वर्ष में १९५६ जून के अन्त तक लगभग १११५ तोला सोना पकडा गया जिसमें से लगभग ३२५ तोला सोना उसी काल में जब्त कर लिया गया । कुछ अन्य मामलों में सीमा-शुल्क विधि के अधीन विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई है जिससे अपराधियों पर किये गये जुर्माने के अतिरिक्त, जो पकडे गये सोने के मूल्य से तीन गुने से अधिक नहीं होता, पकडा हुआ सोना भी जप्त किया जा सकता है । उपयुक्त मामलों में और भी अधिक भयोत्पादक कार्यवाही के रूप में अभियोग भी चलाया जाता है ।

(घ) यह सच है कि कथित देशों में भारतीय मुद्रा का बहुत महत्व है और इस लिये उन देशों में ऐसी मुद्रा की मांग है जो आंशिक रूप में चोरी से होने वाले सोने के आयात के भुगतान में हमारी मुद्रा के चोरी छिपे निर्यात से पूरी हो सकती है । परन्तु प्रश्न में जो अभिधारणा की गई उसकी पुष्टि करने के लिये हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नही है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि सोने का यह चौर्यानयन सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की मिली भगत से होता है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने शिकायत पर कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : जब कभी कोई शिकायत होती है, तो निश्चय ही हम जांच करते हैं । परन्तु यदि माननीय सदस्य हमें कोई निश्चित सूचना दे सके, तो हम मामले में यथोचित कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री कासलीवाल** : समाचार पत्रों में कुछ ऐसे समाचार छपे हैं कि हाल में ही कलकत्ता में पुलिस ने एक बहुत बडी फम पर छापा मारा था क्योंकि यह विचार था कि वे चोरी से लाये गये सोने का व्यापार करते थे । इस फर्म के पास चोरी से लाया गया कितना सोना पकडा गया?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं नहीं जानता कि मुख्य प्रश्न से इस प्रश्न का क्या संबंध है ?

†**एक माननीय सदस्य** : चोरी से लाया गया ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या चोरी से लाया गया ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : ऐसे चौर्यानयन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, और अभी माननीय मंत्री ने जो सुझाव दिये हैं उनके परिणामस्वरूप, अब उसमें कितने प्रतिशत कमी हो गई है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं यह नही बता सकता कि इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? और नहीं मैं यह बता सकता हूं कि हमारी कार्यवाही के परिणामस्वरूप इसमें कितने प्रतिशत कमी हो गई है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या हम आंख बंद करके योजना बनाते हैं ?

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं चौर्यानयन में होने वाली वृद्धि व कमी के आंकडे कैसे बता सकता हूं । हम केवल कुछ अनुमान कर सकते हैं । हम इन मामलों के आंकडे नहीं रख सकते । हम बुद्धिमत्तापूर्ण कुछ अनुमान लगा सकते हैं । वह मैं ने बता दिया है कि भारत-पाकिस्तान की सीमा पर अटारी में सम्भवत: सोने की चौर्यानयन में कुछ वृद्धि हो गई हो ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

केन्द्रीय सरकार के अतिव्यस्क पदाधिकारी

†*८६७. **श्री चांडक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्न बातें दी हो :

(क) केन्द्रीय सरकार में (मंत्रालयानुसार) अतिव्यस्क पदाधिकारियों की संख्या;

(ख) निवृत्ति के बाद उन्हें (प्रत्येक व्यक्ति के विषय में) पुनः नियुक्त करने के कारण;

(ग) क्या सरकारी विभागों में से या बाहर से उपयुक्त व्यक्ति लेने का कोई प्रयत्न किया गया था; और

(घ) ये अतिव्यस्क पदाधिकारी कब तक काम करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) पिछले वर्ष से टैकनिकल या वैज्ञानिक पदाधिकारियों को छोडकर केवल श्रेणी १ और श्रेणी २ के पदाधिकारियों के मामले में गृह-कार्य मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता होती हैं। हमारे रिकार्ड के अनुसार आजकल ९३ अतिव्यस्क पदाधिकारी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे हैं। इसमें रेलवे मंत्रालय या भारतीय लेखा परीक्षण वा लेखा विभाग के द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों संबंधी सूचना सम्मिलित नहीं है।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१**]

†**श्री चांडक :** क्या ऐसे अतिव्यस्क पदाधिकारियों की नियुक्ति एक नियम बन गई है या केवल अपवाद ही है ?

†**श्री दातार :** ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता । साधारणतया, सभी अतिव्यस्क पदाधिकारियों को निवृत्त होना पडता है । परन्तु कुछ मामलों में जहां उनकी सेवायें अनिवार्य हों या जहां उपयुक्त पदाधिकारी न मिल सकें, तो या तो सेवायें बढ़ा दी जाती हैं और या पुनः नियुक्ति की जाती है ।

†**श्री चांडक :** क्या इन पदाधिकारियों को वेतन, मकान, छुट्टी आदि के संबंध में वही सुविधायें दी जाती हैं जो निवृत्ति प्राप्त करने से पहिले मिलती हैं ।

†**श्री दातार :** सेवा बढ़ाये जाने के मामले में, साधारणतया उन्हें सुविधायें मिलती रहती हैं । जहां तक पुनः नियुक्ति का सम्बन्ध है, यह बातें उस समय विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं ।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** मैं देखता हूं कि सरकार द्वारा पुनः नियुक्त किये गये ९३ अतिवयस्क पदाधिकारियों में से केवल दो को 'विशेष मामले' के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है । उनमें से एक शिक्षा मंत्री के निजी सचिव हैं । निवृत्त हुए व्यक्ति को 'विशेष मामले' के आधार पर निजी सचिव पुनः नियुक्त करने के क्या कारण है, तथा यदि मामले में कोई विशेषता है तो वह क्या है ?

†**श्री दातार :** वह विशिष्ट मामला मंत्री महोदय की स्वेच्छा से काम लेने पर निर्भर है ।

†**श्री न० मा० लिंगम :** विवरण से विदित होता है कि बहुत से अतिवयस्क व्यक्ति कारुण्य आधार पर नियुक्त किये गये हैं । वे कौन से कारण हैं जो श्रेणी १ और श्रेणी २ के इन पदाधिकारियों को सरकार की करुणा के योग्य बनाते हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दातार :** जहां तक इन करुणा मामलों का संबंध है, वे अधिकतर विस्थापित व्यक्तियों के मामले हैं। कुछ मामलों में, उन्हें कोई निवृत्ति-वेतन नहीं मिलता। अतः करुणा के आधार पर उनकी सेवायें कुछ बढ़ा दी जाती हैं या वे पुनः नियुक्त किये जाते हैं।

†**श्री वे० प० नायर :** विवरण से मुझे विदित होता है कि ९३ पदाधिकारियों में से, जो निवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त किये गये हैं, बहुत ही थोड़े व्यक्ति टैक्निकल हैं। उपयुक्त स्थानापन्न व्यक्तियों की प्राप्यता के बारे में कोई पूछ ताछ की गई है या नहीं, वाले खाने में मैं देखता हूं कि उत्तर में बिना किसी अपवाद के कहा गया है 'हां', 'हां' मैं जानना चाहता हूं कि यह जानने के लिये कि उपयुक्त उम्मीदवार मिल सकते हैं या नहीं, विशेषकर आय-कर अधिकारी, वन परिरक्षक और अन्य अप्राविधिक अधिकारियों जैसे साधारण पदाधिकारियों के मामले में यदि कोई पूछ ताछ ी गई है क्या ?

†**श्री दातार :** इन सब मामलों पर विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा विचार किया जाता है। परिपत्र जारी किये गये हैं कि यथासम्भव, हमें पुनः नियुक्ति या सेवा काल बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। केवल अपवादात्मक मामलों में वे पुनः नियुक्त किये जातें हैं या उनकी सेवायें बढ़ाई जाती हैं।

गाजीपुर का अफीम कारखाना

†*८६९. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अफीम का प्रयोग केवल औषधियों में किया जायेगा और परिणामस्वरूप उसके उत्पादन में तदनुसार कमी हो जायेगी, क्या सरकार गाजीपूर के आफीम कारखाने को किसी अन्य उद्योग के लिये प्रयोग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** औषधीय और वैज्ञानिक प्रयोग के लिये उत्तरोत्तर अफीम के प्रयोग पर प्रतिबन्ध से उसके उत्पादन में बहुत बडी कमी होना आवश्यक नहीं है। निर्यात के लिये अफीम संग्रह और परिष्कृत करने तथा अफीम के क्षार से मिलता जुलता पदार्थ बनाने के लिये कारखाने की अनिश्चित रूप से आवश्यकता रहेगी। अतः कारखाने को किसी अन्य उद्योग को देने का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या सरकार कारखाने की उन इमारतों का किसी भी रूप में प्रयोग करेगी जिनका आज कल प्रयोग नहीं होता है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** मेरा ख्याल है कि आजकल अधिकतर इमारतों का प्रयोग क्षार सम्बन्धी कारखानों, विद्युत गृह और दो वर्कशापों के लिये होता है। केवल दो या तीन इमारतें और हैं जिनका आजकल प्रयोग नहीं होता है। हमारा विचार उन इमारतों को कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, विशेषकर अपेक्षाकृत कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये, क्वार्टरों के रूप में प्रयोग करने का है।

†**डा० रामा राव :** क्या आन्तरिक और बाह्य मांग की पूर्ति के लिये अफीम के क्षार का उत्पादन बढ़ाया गया है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** हमारा विचार यही है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि हम अब अन्तर्देशीय और विदेशों की मांग को पूरा कर सकते हैं। परन्तु हम कारखाने के कार्य को बढ़ाना चाहते हैं।

†**श्री कासलीवाल :** क्या सरकार ने यह निश्चित रूप से पता लगाया है कि केवल औषधीय प्रयोजनों के लिये प्रतिवर्ष कितनी अफीम की आवश्यकता होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० चं० गुह** : यह बात निर्यात की मात्रा और आन्तरिक मांग पर निर्भर होगी। जहां कत निर्यात का संबंध है, यह मुख्यतया औषधीय प्रयोजनों के लिये ही है अतः हम कोई निश्चित आंकड़े नहीं बता सकते हैं क्योंकि वह निर्यात बाजार की मांग पर निर्भर होंगे।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या राज्य सरकार के अभ्यंश में कमी हो जाने पर भी राज्य सरकार को अफीम से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि हो रही है या यह एक स्थिर मान पर है? क्या सरकार ने इस मामले में पूछ-ताछ की है, और यदि हां, तो क्या यह अवैध चौर्यनियन के कारण हो रहा ह?

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरा ख्याल है कि राजस्व स्वभावतः घट रहा होगा। परन्तु यह प्रश्न संबंधित राज्य से पूछा जाय।

वाशिंगटन के निर्यात आयात बैंक के साथ करार

†*८७०. **श्री साधन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास सहायता के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता प्रशासन के आधीन भारत सरकार ने वाशिंगटन के निर्यात आयात बैंक के साथ कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२**]

†**श्री साधन गुप्त** : करार में डालरों या अन्य किसी मुद्रा में ऋण के अग्रिम देय के लिए उपबन्ध है। क्या हम अन्य अन्य मुद्रा का चुनाव पूर्णतया अपनी इच्छा से कर सकते हैं?

†**श्री ब० रा० भगत** : यद्यपि करार में अन्य मुद्राओं के लिये उपबन्ध है, किन्तु यह मुख्यतया डालर मुद्रा के लिए हैं। क्योंकि हमारे पास अमरीकी वस्तुयें हैं। हम इसका प्रयोग निश्चय ही अन्य मुद्रायें क्रय करने क लिए कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खनिज मंत्रणा बोर्ड

†*८६८. **श्री च० रा० नरसिंहन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुई खनिज मंत्रणा बोर्ड की बैठक में ये सुझाव दिये गये थे कि दक्षिणी प्रदेश में एक खनन तथा धातु-विज्ञान कालिज खोला जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले पर क्या विचार कर रही है?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, हां। खनिज मंत्रणा बोर्ड ने इस मामले पर विचार विमर्श नहीं किया था। खनन तथा धातु विज्ञान में प्रशिक्षण के और सुविधाओं के प्रश्न पर शिक्षा मंत्रालय का अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद विचार कर रहा है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

भारतीय प्रशासनिक सेवा आपात भर्ती

†*८७१. **श्री वीरस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ जुलाई १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा आपात भर्ती परीक्षा के लिये कितने त्रिभागीय और कितने नये स्नातकों ने प्रार्थनापत्र भेजे हैं ; और

(ख) प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). ३१ जुलाई १९५६ तक कुल २२,८९६ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे ।

१८ जुलाई १९५६ को तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर में पहिले ही बताया जा चुका है कि विदेशों में खोले गये परीक्षा-केन्द्रों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख १७ अगस्त, १९५६ है ।

प्रश्न के भाग (क) और (ख) में पूछे गये आंकड़ों के संकलन में कुछ समय लगेगा । जानकारी के प्राप्त होते ही, एक विवरण जिसमें जानकारी दी होगी, सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क

†*८७२. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन वस्तु निर्माताओं पर से निर्यात-शुल्क हटाने के फलस्वरूप क्या सरकार को कोई हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह): (क) तथा (ख). यह बताना सम्भव नहीं है कि शुल्क की कोई हानि हुई है या नहीं अथवा यदि हुई है तो कितनी, क्योंकि इस प्रकार के मूल्यांकन में कई अनिश्चित बातें आ जाती हैं । सम्भव है यदि निर्यात-शुल्क न हटाया जाता तो निर्यात वाणिज्य बिल्कुल ही बन्द हो जाता और तब राजस्व से बिल्कुल ही प्राप्ति नहीं होती । किन्तु १९५५–५६ के बजट में पटसन की वस्तुओं के निर्यात-शुल्क की मद में ७१० लाख रुपये की रकम जमा खाते डाल दी गयी थी । २ अगस्त, १९५५ को निर्यात-शुल्क हटा लिये जाने के बाद उस वर्ष इस शीर्षक के अन्तर्गत ३९८ लाख रुपये की प्राप्ती हुई और इस प्रकार ३१२ लाख रु० की कमी रही ।

कोयला

†*८७३. **श्री हेमराज** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पंजाब की डेरागोपीपुर तहसील में सिहर पेन का, जहां कोयल के बड़े निक्षेप होने का विचार है, सर्वेक्षण करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में किसी सर्वेक्षण के करने का विचार है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी है, सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३३**]

† मूल अंग्रेजी में ।

त्रिपुरा और मनिपुर में पंचायत प्रणाली

†*८७४. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा और मनीपुर में पंचायत प्रणाली लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी सामान्य निर्वाचनों से पहिले ही दोनों में पंचायत प्रणाली लागू करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकार पहिले से ही काम कर रहे हैं। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि आसाम ग्राम पंचायत अधिनियम १९४८ इन क्षेत्रों पर लागू किया जाय। इन पंचायतों के अधिक कुशलतापूर्ण काम करने के लिये इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, और वे विचाराधीन हैं।

जम्मू तथा काश्मीर का वित्तीय एकीकरण

†*८७५. **श्री कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के भारत संघ से वित्तीय एकीकरण की कार्यवाही को जैसा कि १९५२ के दिल्ली करार में सोचा गया था, पूरा किया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कहां तक प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य और भारत सरकार के बीच दिल्ली करार में सोचे गए नये वित्तीय सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं। ये दो करारों में एक तो संविधान के अनुच्छेद ३०६ तथा दूसरा अनुच्छेद संख्या २७८ तथा २९५ के अन्तर्गत हैं, लखे गए हैं। दोनों करारों की प्रतियां २२ फरवरी, १९५६ को सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

योगाभ्यास

†*८७६. **बाबू राम नारायण सिंह :**
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ मई १९५६ को पूछे गये अतारांकित **प्रश्न संख्या १९७३ के उत्तर के** सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमान माधव योग मन्दिर समिति, लोनावाला, पूना के डा० एन० एन० दास के 'भारत में योगाभ्यास से मस्तिष्क में विद्युतीय क्रियाशीलता' के विषय पर लेख का अध्ययन तथा जांच पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो छान-बीन किस स्थिति में है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) तथा (ख). के० एस० एन० वाई० एम० समिति द्वारा 'गहरी समाधि में मस्तिष्क की विद्युतीय क्रियाशीलता' के विषय सम्बन्धी गवेषणा कार्य अभी प्राथमिक स्थिति में है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

संयुक्त सेवा विभाग की परीक्षाएं

†*८७७. **श्री बोगावत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सेवा विभाग के गणित के परीक्षा पत्र को अंग्रेजी में लिखा जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : जी, हां।

पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

†*८७८. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन के बारे में राज्य सरकारों की रायें प्राप्त हुई थीं ; और

(ख) यदि हां तो कब ; तथा

(ग) पिछडे वर्गों सम्बन्धी आयोग को राज्यवार कितने ज्ञापन प्राप्त हुए थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों ने आयोग के प्रतिवेदन के बारे में अपने अस्थायी विचार भेज दिये हैं। अभी इस विषय में उनसे पत्र व्यवहार हो रहा है ।

(ग) सूचना सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३४**]

वैज्ञानिक असैनिक सेवा

†*८७९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रा० प्र० गर्ग :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वैज्ञानिक असैनिक सेवा गठित करने के संबंध में योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). योजना अभी विचाराधीन है।

निर्धन विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

†*८८०. **श्री डाभी :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० सत्यवादी :
पंडित ह्रा० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ मार्च, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी समुदायों के निर्धन विद्यार्थियों को सहायता तथा छात्रवृत्तियां देने के लिये योजना को अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ; और

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(ग) १९५६-५७ में कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी और इनकी रकम कितनी होगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३५**]

युद्ध-सामग्री कारखाने

†*८८१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें बताया जाए कि :

(क) भारत के सभी युद्ध-सामग्री कारखानों द्वारा १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ वर्षों में स्कन्ध प्रयोजनों से जो वस्तुएं निर्मित की गई थीं उनका प्रत्येक वर्ष का पृथक् पृथक् मूल्य कितना था ;

(ख) इस में से प्रत्येक वर्ष में कितने मूल्य की वस्तुओं का उपयोग हुआ था और अतिरेक स्कन्ध का मूल्य कितना था ; और

(ग) क्षेप्य रोकने के लिये स्कन्ध प्रयोजनों के संबंध में व्यादेश देने के कार्य को विनियमित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** :

(क)

१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
६.९२ करोड़	८.५४ करोड़	६.५३ करोड़	५.५१ करोड़

(ख) इस समय लेखे की जो रीति है उसके अनुसार प्रत्येक कारखाने द्वारा निर्मित और तदुपरान्त उत्पादन के लिये उपयोग की गई वस्तुओं का मूल्य तथा बाहिर से प्राप्त किये गये सामान का और उसी उत्पादन में उपयोग किए गए सामान का मूल्य पृथक पृथक नहीं दिखाया जाता है।

(ग) जहां तक असैनिक व्यापार की वस्तुओं के स्कन्धों का प्रश्न है सरकार द्वारा कुछ परिसीमाएं पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं।

जहां तक सैनिक सेवाओं द्वारा अपेक्षित अर्ध-निर्मित वस्तुओं या उपकरण के पुर्जों के स्कन्धों का संबंध है सीमायें नियत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

इम्फाल में प्राविधिक संस्था

†*८८२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जाति विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये इम्फाल में एक प्रविधिक संस्था स्थापित करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और तैयार होने पर उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रादेशिक भाषायें

†*८८३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक भाषाओं की सहायता के लिये अब तक योजना को किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा चुका है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : मामला अभी विचाराधीन है।

† मूल अंग्रेजी

प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियां

†*८८४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसार के विभिन्न देशों में जो प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियां तथा साहित्य पड़ा हुआ है, क्या उनकी ऋजुचित्रक तथा अणुचित्रक प्रतिलिपियां प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस संबंध में किन देशों की यात्रा की जा चुकी है और जिन महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों तथा प्राचीन पुस्तकों की अब तक ऋजुचित्रक प्रतिलिपियां प्राप्त की गई हैं और अणु चित्र लिये जा चुके हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ग) अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) भावी कार्यक्रम क्या है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(घ) पहली कार्यवाही विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं तथा पाण्डुलिपियों की एक विस्तृत सूची तैयार करना है। इसके बाद पाण्डुलिपियों की ऋजुचित्रक तथा अणुचित्रक प्रतिलिपियों को प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

गढ़वाल राइफल्स के पदच्युत किये गये कर्मचारी

†*८८५. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गढ़वाल राइफल्स के जिन कर्मचारियों को पदच्युत किया गया था सरकार ने उन्हें उनका जब्त किया गया वेतन तथा भत्ते आदि वापिस देने का निर्णय किया है ;

(ख) सेवा से अलग किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ;

(ग) कितने व्यक्तियों को कैद किया गया था ; और

(घ) सरकार उन्हें किस प्रकार प्रतिकर देगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) २४ अप्रैल, १९३० को पेशावर में हुई एक घटना के फलस्वरूप २/१८ गढ़वाल राइफल्स के जिन कर्मचारियों को पदच्युत किया गया था उनके संबंध में, ६ जलाई, १९५६ को जारी किए गए सरकारी आदेशों में, पहले रोके गए वेतन तथा भत्तों की अदायगी के लिये १०,७५१ रुपये ३ आने की रकम की मंजूरी दी गई थी।

(ख) ५६ ;

(ग) १७ ;

(घ) १९४९ में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों को सेना से अलग होने का निवृत्ति वेतन/उपदान प्रदान किए गए थे। मृतक व्यक्तियों के संबंध में उनके वैध दायादों को उनकी पदच्युत की तिथि से लेकर उनकी मृत्यु की तिथि तक अनुमन्य उपदान की राशि या उन्हें देय निवृत्ति वेतन की बकाया राशि दी गई थी। इसके अतिरिक्त जैसा कि प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में कहा गया है वेतन तथा भत्तों की जो राशि पहले रोकी गई थी वह भी वापिस दी जा रही है।

अध्ययन के लिये ऋण

†*८८६. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी विद्यार्थियों ने विदेशों में अध्ययन के लिये ऋण के संबंध में १९५६-५७ की अवधि में केन्द्रीय सरकार को आवेदित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रार्थियों की संख्या कितनी है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी, हां।

(ख) ३९।

† मूल अंग्रजी में ।

चम्बल की घाटी से प्राप्त वस्तुयें

*८८७. **डा. राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्बल की घाटी में नागदा में खुदाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुरातत्व विभाग ने उन वस्तुओं का अध्ययन किया है ; और

(ग) उन वस्तुओं के किस काल का होने का अनुमान है और उनसे किस काल की सभ्यता का बोध होता है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) हां, जी ।

(ख) तथा (ग). पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुओं का अध्ययन अभी जारी है, परन्तु यह स्पष्ट है की प्राप्त वस्तुएं पश्चिमी तथा मध्य भारत की धात और पत्थर की संस्कृति के समय की हैं। काल निर्णय विद्या के अनुसार नागदा की स्थिति अभी निश्चित नहीं है परन्तु प्रयोग रीति से संस्कृति का समय एक हजार से छः सौ ईस्वी पूर्व तक है।

जम्मू तथा काश्मीर के संविधान का प्रारूप

†*८८८. **श्री कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिये संविधान का एक प्रारूप उस राज्य की संविधान सभा के समक्ष रखा जा चुका है या शीघ्र ही रखा जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संविधान के प्रारूप की एक प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर रखी जाएगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) मेरे विचार में जम्मू तथा काश्मीर राज्य के आन्तरिक संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है और उसके तैयार होते ही उसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर की संविधान सभा भारतीय संविधान के अधीन नहीं बल्कि सदरे रियासत की उद्घोषणा द्वारा संयोजित की गई है और राज्य के आन्तरिक संविधान के संबंध में उस की कार्यवाही संघ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। निःसन्देह संविधान सभा द्वारा कार्यवाही प्रकाशित की जाएगी और जब हमें प्रतिलिपि मिलेगी तो हम उसे जानकारी के लिये लोक-सभा पटल पर रख देंगे।

सहायक अधीक्षकों की परीक्षा

†*८८९. **श्री ब० द० पांडे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ मई, १९५६ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मई १९५६ में सहायक अधीक्षकों की जो परीक्षा ली गई थी क्या उसका परीक्षा फल अब घोषित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो किस तिथि तक इसे घोषित किया जाएगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (ख). आशा है इस महीने के मध्य तक परीक्षा फल घोषित कर दिया जाएगा।

यूगोस्लाविया के साथ सांस्कृतिक संबंध

†*८९०. **श्री० दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ की अवधि में भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा उनके विकास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की है ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : कोई विशिष्ट कार्यवाही नहीं की गई है परन्तु यूगोस्लाविया के साथ सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना तथा उनका विकास करना, विदेशों के साथ हमारी साधारण सांस्कृतिक कार्यवाहियों का ही एक भाग है।

पोस्त की काश्त

†***८९१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री २८ फरवरी, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार पोस्त की काश्त कितने क्षेत्र में हो रही है ; और

(ख) इस क्षेत्र में अग्रेतर कमी करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री अ. चं. गुह)** : (क) पोस्त उगाने वाले विभिन्न राज्यों में १९५५–५६ की ऋतु में अफ़ीम के उत्पादन के लिये जितने क्षेत्र में पोस्त की काश्त होती थी वह नीचे बताया गया है :–

राज्य	क्षेत्र
	(एकड़)
उत्तर प्रदेश	१२,५३१
मध्य भारत	१८,५३५
राजस्थान	१२,११४
जम्मू तथा काश्मीर	९४

(ख) २८ फरवरी, १९५६ को जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या २९१ के उत्तर के संबंध में बताया गया था अफीम संबंधी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समझौते अफीम की काश्त के लिये कोई क्षेत्र परिसीमा लागू नहीं करते हैं ; उनकी मांग केवल यह है कि अफीम के उपयोग में धीरे धीरे कमी की जाए और चिकित्सा तथा वैज्ञानिक प्रयोजनों को छोड़ कर अफ़ीम का उपयोग अन्ततः समाप्त कर देना चाहिये। भारत इस दायित्व को सावधानी से पूरा कर रहा है और अफ़ीम का मौखिक उपयोग धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। परन्तु अफ़ीम के वैज्ञानिक तथा चिकित्सा संबंधी उपयोग के लिये काश्त को कायम रखना पड़ता है। भाग (क) के उत्तर में जो क्षेत्र बताया गया है उसका निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा अनुज्ञात, निर्यात तथा आन्तरिक उपयोग के लिये हमारी आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

†* ८९२. **श्री राम कृष्ण :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री १७ अप्रैल, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १५०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अब स्थापित किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) न्यास द्वारा अब तक प्रकाशित पुस्तकों की भाषावार संख्या क्या है ?

† मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३६**]

(ग) शून्य।

अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में कल्याण-योजनायें

†*८९३. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९५६ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या १४३९ के उत्तर में लोक-सभा पटल पर रखे गए विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेतूल, होशंगाबाद और छिन्दवाड़ा जिलों में आदिम जातियों के कल्याण के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से योजनायें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

विदेशी मिशन

†४९५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी मिशन के नियोजन में इस समय काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की संख्या कितनी है ; और

(ख) ऐसी नियुक्तियों के संबंध में कितने मामलों में अनुज्ञा मांगी गई थी और सरकार द्वारा प्रदान की गई थीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संस्थायें

†४९६. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिये जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को सीधे केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान मिल रहे हैं उनकी संख्या और नाम क्या है ;

(ख) उनकी गतिविधियों का स्वरूप क्या है ;

(ग) १९५५–५६ वर्ष की अवधि में प्रत्येक संस्था को कितनी रकम की गई थी ;

(घ) इन संस्थाओं में से प्रत्येक द्वारा कितने छात्रावास चलाए जा रहे हैं ; और

(ङ) ऐसी संस्थाओं द्वारा १९५५–५६ में विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई थीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३७**]

(घ) और (ङ) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

† मूल अंग्रेजी में ।

त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों के छात्र

†४९७. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा के सरकारी स्कूलों तथा कालिजों में अनुसूचित जातियों के कितने प्रतिशत छात्र हैं ;

(ख) उन्हें फीस, बोर्डिग तथा पाठय-पुस्तकों के सम्बन्ध में क्या सुविधायें दी गई हैं ;

(ग) क्या त्रिपुरा के बाहर भी उन्हें प्रौद्योगिकीय स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम जहां पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) १.७%

(ख) त्रिपुरा राज्य में सभी सरकारी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों को भी इस अभिप्राय से सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि वे भी अपने यहां के अनुसूचित जातियों के छात्रों की फीस माफ कर सकें। १९५५–५६ में त्रिपुरा के स्कूलों में पढ़ने वाले जिन अनुसूचित जातियों के ८९ छात्रों ने वृत्तिका के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे उन सब को वृत्तिका दे दी गई है। ६ छात्रों को पुस्तकों के लिये भी अनुदान दिये गये थे। और इस अवधि म उनके लिये एक छात्रावास भी खोला गया है।

(ग) और (घ). जी हां, निम्नलिखित प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में उन अनुसूचित जातियों के छात्रों को जो आवश्यक अर्हताएं रखते हैं प्रवेश प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाती है :–

(१) जादवपूर विश्वविद्यालय ;

(२) बी० ई० कालिज, शिवपुर, कलकत्ता ;

(३) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेकनॉलोजी, खड़गपुर ;

(४) विक्टोरिया जुबली टेकनीकल इंस्टीट्यूट, बम्बई ;

(५) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, उ० प्र० ;

(६) के० जी० इंजीनियरिंग इंस्टीच्यूट, बंकूरा, पश्चिम बंगाल ;

(७) जादवपुर पॉलिटैकनीक, जादवपुर ।

त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र

†४९८. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५–५६ के दौरान में त्रिपुरा के अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने छात्रों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिली है ; और

(ख) स्कूल के छात्रों को तथा कॉलिज के छात्रों के डाक्टरी, कृषि तथा इंजीनियरिंग पढ़ने के लिये कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) तथा (ख). सूचना संग्रहीत की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

असिस्टेंट ग्रेड की नियमित अस्थायी स्थापना

†४९९. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार १६ दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के भाग (ख) तथा (ग) और ३० जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३४३ के भाग (ग) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में बताई गई नीति का निरन्तर अनुसरण कर रही है ;

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो विभाजन पूर्व के केन्द्रीय सरकार के उन स्थायी क्लर्कों की संख्या जो इस समय असिस्टेंट ग्रेड के नियमित अस्थायी वर्ग में हैं, क्या है ;

(ग) विभाजनपूर्व के केन्द्रीय सरकार के उन विस्थापित स्थायी क्लर्कों की संख्या क्या है जो इस समय असिस्टेंट ग्रेड के नियमित, अस्थायी वर्ग में हैं ;

(घ) विभाजन-पूर्व के केन्द्रीय सरकार के उन विस्थापित स्थायी क्लर्कों की संख्या क्या जो इस समय असिस्टेंट ग्रेड के नियमित अस्थायी वर्ग में नहीं हैं ;

(ङ) उसके कारण ;

(च) केन्द्रीय सरकार के उन स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या जो १६, अगस्त १९४७ से ३० अप्रैल, १९५२ तक असिस्टेंट के रूप में स्थायी बनाये गये तथा जिन्हें सुपरवाइजरी पदों पर लगाया गया है ; और

(छ) केन्द्रीय सरकार के उन विस्थापित स्थायी कर्मचारियों की संख्या जिन्हें उक्त अवधि में असिस्टेंट के रूप में अस्थायी बनाया गया है तथा सुपरवाइजरी पदों पर लगाया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) केन्द्रीय सरकार के वे सभी कर्मचारी जिन्होंने भारत में आना पसन्द किया था उन्हीं कार्यालयों/विभागों में ले गये हैं जिनमें कि वे कार्य कर रहे थे जहां पर ऐसा किया गया है वहां पर उनकी सेवा के विषय में इस आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया गया है कि वह पहले से ही उस कार्यालय/विभाग में कार्य कर रहे थे अथवा वे उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत में आना स्वीकार किया था। जहां पर उसी कार्यालय/विभाग में रिक्त स्थान न होने के कारण अथवा वैसा ही कार्यालय/विभाग न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका, वहां पर उन लोगों को अन्य कार्यालयों/विभागों में अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया। जुलाई, १९५० में यह विनिश्चय किया गया कि उनको अपने मूल कार्यालयों/विभागों में ही संख्या से अधिक जगहें बना कर लगाया जाये। इसके पश्चात उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि उनको पहले अस्थायी जगहों में नियुक्त करने के कारण जो कोई भी हानि हुई हो उसको दूर कर दिया जायेगा और एतदर्थ उनको संबंधित कार्यालय/विभाग के वर्तमान स्थायी कर्मचारियों के समतुल्य समझा गया यद्यपि उनका ग्रहणाधिकार केवल संख्यातिरिक्त स्थानों से ही था।

फिर, यद्यपि उनके मूल स्थान, वेतन तथा निवृत्ति वेतन आदि के अधिकारों के परित्राग के संबंध में जुलाई १९५० को आदेश दिये गये थे, फिर भी इन आदेशों को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया। किन्तु उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति नहीं दी जा सकी क्योंकि उन्होंने वास्तव में उन उच्च स्थानों पर काम नहीं किया था।

जब तक कि किसी व्यक्ति ने केन्द्रीय सरकार के सचिवालय के कार्यालय में काम न किया हो, उसे भारत के विभाजन के पश्चात केन्द्रीय सरकार के सचिवालय के कार्यालय में नहीं लिया जा सकता था। किन्तु फिर भी भारत में आने वाले कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय की सेवा में ले लिया गया है, क्योंकि जिन कार्यालयों में वे काम कर रहे थे वैसे कार्यालय भारत में नहीं थे। ऐसे लोगों को केन्द्रीय विस्थापित सरकारी कर्मचारी कहा गया। इन लोगों को पुनर्गठित केन्द्रीय सचिवालय सेवा में स्थायी रूप से खपाने के लिये इन नियमों में विशेष रूप से छूट दी गई है। ऐसे कर्मचारी जिन के लिये सचिवालय में संख्या से अधिक क्लेरीकल स्थान बनाये गये थे और जिनको नियम में छूट देने के बावजूद भी ऊँचे ग्रेड में नहीं रखा जा सका था उन्हें अब केन्द्रीय सचिवालय सेवा में पुनर्व्यवस्था के समय स्थायी रूप से क्लर्क बनाया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). असिस्टेंटों के नियमित अस्थाई वर्ग की स्थापना सब से पहले १ जुलाई, १९५२ में हुई थी और उसके लिये विशेष नियम बनाये गये थे और इन नियमों के अनुसार ही उनकी नियुक्तियां की गई थीं। इस मामले में विस्थापित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से सचिवालय के कार्यालयों के क्लर्कों की अपेक्षा कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है। बल्कि ऐसे केन्द्रीय विस्थापित सरकारी कर्मचारी जो १ जुलाई १९५२ को लगातार एक वर्ष से असिस्टेंट का कार्य कर

† मूल अंग्रेजी में ।

रहे थे इस नियमित अस्थायी वर्ग में रख लिया गया है जब कि सचिवालय कार्यालयों के ऐसे स्थायी क्लर्क जो १९४५ से असिस्टेंट का कार्य कर रहे थे उन्हें इस वर्ग में नहीं रखा गया था। इस समय कितने ऐसे स्थायी क्लर्क अथवा स्थायी केन्द्रीय विस्थापित सरकारी कर्मचारी हैं जिनको कि असिस्टेंटों के नियमित अस्थायी वर्ग में स्थान मिल चुका है इस सम्बन्ध में अभी कोई सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है।

(घ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) प्रत्येक विस्थापित स्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय में स्थायी नियुक्ति पाने का अधिकारी नहीं समझा जाता है जैसे कि वह केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में समझा जाता है और फिर विशेष रूप से केन्द्रीय सचिवालय के असिस्टेंट ग्रेड में।

(च) तथा (छ). यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

भुतत्वीय सर्वेक्षण

†५००. **श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा और उत्तर-पूर्व सीमांत प्रदेश में १९५६–५७ में हुए भूतत्वीय सर्वेक्षणों का विवरण दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : ये भूतत्वीय सर्वेक्षण अक्तूबर से अप्रैल तक हुआ करते हैं। १९५६–५७ में भारत के भूतत्वीय विभाग द्वारा जो सर्वेक्षण किये जाते हैं उनका कार्यक्रम अभी भारत के भूतत्वीय विभाग के निर्देशक द्वारा बताया जा रहा है। इस १९५६-५७ के इस क्षेत्रीय सीजन की समाप्ति पर ही पता लग सकेगा कि आसाम, मनीपुर त्रिपुरा और उत्तर-पूर्व सीमांत प्रदेश में वास्तव में क्या-क्या कार्य किया जाएगा।

त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति का शासन

†५०१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति द्वारा त्रावनकोर-कोचीन का प्रशासन अपने हाथ में लेने के बाद वहां पर क्या सुधार किये गये हैं और किस तरीके से; और

(ख) वहां पर बढ़ती हुई बेकारी को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : राष्ट्रपति द्वारा वहां का प्रशासन अस्थायी रूप से ही अपने हाथ में लिया गया है। क्योंकि अब सामान्य चुनाव आ रहे हैं और इसके शीघ्र बाद ही वहां पर उत्तरदायी सरकार स्थापित हो जायेगी इसलिये इस अन्तः काल में उस राज्य में कोई लम्बे-चौड़े सुधार कार्य करना ठीक नहीं समझा गया है। केवल ऐसे प्रशासकीय मामलों की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया है जो कि सरकार का सुचारु रूप से काम चलाने के लिये आवश्यक समझे गये हैं ; वे ये हैं :–

(१) विभागों के प्रमुखों की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।

(२) असैनिक विभागों के प्रादेशिक डिवीजनों की इस प्रकार से पुनर्व्यवस्था की गई है कि वे सब राजस्व की दृष्टि से एक ही राजस्व जिले में मिल जायें।

(३) राजस्व बोर्ड को उपनिवेशन, स्थानीय निकाय, सहकारिता, मीनक्षेत्र, पंजीयन तथा पिछड़ी जातियों की प्रगति करने वाले विभागों का पर्यवेक्षण करने का अधिकार दिया जाता।

राज्य सरकार पुलिस के अनुशासन तथा नियन्त्रण को भी सुधारना चाहती है। वह ग्रामीणों के ऋणों को कम करने तथा वन क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को उपजाऊ भूमि पर बसाने के लिये भी उपाय कर रही है।

प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लागू करने की गति भी बढ़ गई है।

---

† मूल अंग्रजी म ।

(ख) राज्य सरकार ने शिक्षित बेकारों की समस्या का अध्ययन करने के लिये एक समिति बनाई थी। उसने इस प्रश्न पर विचार किया है। अब उस की रिपोर्ट विचाराधीन है। इस दौरान मे कुछ लोगों को नौकरियां दिलाने के उद्देश्य से कुछ छोटी तथा कुछ बड़ी वर्कशापें खोलने की स्वीकृति दी गई है और अब कुछ औद्योगिक क्षेत्र खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

स्त्री सुरक्षा पुलिस

†५०२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सुरक्षा पुलिस में कितनी स्त्रियां हैं, और

(ख) उनकी क्या संस्थिति है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) कोई नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान

†५०३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने पंजाब में कल्याण कार्य करने के लिये किन किन संस्थानों को अनुदान दिये हैं ;

(ख) प्रत्येक संस्था को कितना कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ग) सहायक अनुदानों के लिये कितने प्रार्थनापत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८**]

(ग) १९५५–५६ के लिये कोई भी शेष नहीं है।

पंजाब कल्याण विस्तार परियोजनाएं

†५०४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभी तक पंजाब और पेप्सू में कितनी कल्याण विस्तार परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने स्थान तथा गांव आते हैं ;

(ग) पंजाब में होशियारपुर, फीरोजपुर, कांगड़ा तथा हिसार के जिलों में ये परियोजनाएं किन-किन गांवों में शुरु की गई हैं ; और

(घ) १९५४–५५ और १९५५–५६ में इन परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क)

पंजाब	१२
पेप्सू	१०

† मूल अंग्रेजी में।

(ख) १२९ केन्द्र खोले गये हैं और उनके अन्तर्गत ४११ गांव आते हैं।

	केन्द्रों की संख्या	गांवों की संख्या
पंजाब	५४	२३६
पेप्सू	७५	१७५

(ग) अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३९]**

(घ) अभी वास्तविक व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

ध्वज दिवस

५०५. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ के ध्वज-दिवस को एकत्र की गयी राशि के सम्बन्ध में सभी आंकड़े संकलित किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न राज्यों से कितनी राशि एकत्र हुई थी; और

(ग) उस एकत्र की गयी धन-राशि का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). राज्यों तथा दूसरी संस्थाओं ने १९५५ के झण्डा दिवस पर जो धन इकट्ठा किया था वह सब धन अभी तक उन्होंने केन्द्र को नहीं भेजा हैं। ३१ जुलाई १९५६ तक प्रत्येक राज्य से प्राप्त धन बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ४०]**

(ग) केन्द्र में थोड़ा सा रिजर्व रख कर बाकी धन भूत-पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित रहने वाले निर्धनों तथा सेवा में लगे हुए सैनिकों को आराम पहुंचाने के लिये बेनेवोलेण्ट ग्रान्ट देने के हेतु सेनाओं के हेड क्वार्टरों तथा राज्यों में बांटा जा रहा है। सैनिक अस्पताल कल्याण सेवा को चालू रखने और सेनाओं के स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड के कामों की आर्थिक व्यवस्था के लिये इस में से दान भी दिये जा रहे हैं। इस साल जो धन इकट्ठा हुआ है उसका थोड़ा सा भाग जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक चौकियों के लिये वायरलेस सेट खरीदने के लिये उपयोग में लाया जा रहा है।

उप-निर्वाचन

†**५०६. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **विधि-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अभी तक लोक-सभा तथा विधान-सभाओं के लिये कुल कितने उप-निर्वाचन हुए हैं; और

(ख) इसी अवधि में निर्वाचनों की प्रमाणता का विरोध करने वाली कितनी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) १ जनवरी, १९५६ से ५ जुलाई, १९५६ तक लोक-सभा के लिये ५ उप-निर्वाचन हुए हैं और राज्यों की विधान सभाओं के लिये ५६।

(ख) ६।

---

† मूल अंग्रेजी म ।

भारत में विदेशी

†५०७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९३९ के विदेशी जन अधिनियम के अनुसार १९५६ के दौरान में अभी तक कितने विदेशी पंजीबद्ध हुए हैं ; और

(ख) वे किन-किन देशों के हैं ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (घ) : १९५६ के दौरान म पंजीबद्ध हुए विदेशियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। अभी तक १९५५ की ही सूचना अन्तिम सूचना है। इस सूचना के संबंध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ४१]**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†५०८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(कं) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखने सम्बन्धी नियुक्त की गई जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल के कुएं

५०९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक खोदे गये कितने कुओं में तेल निकालने की सम्भावना पाई गयी है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० भालवीय): आसाम में ५८९ तेल के कुएं हैं जिन से आजकल अशुद्ध तेल निकाला जा रहा है। इन के अतिरिक्त तीन अन्य कुएं हैं, जिन से तेल प्राप्त होने की आशा है।

हीरों का चोरी-छिपे लाना ले जाना

†५१०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक पश्चिमी पाकिस्तान से हीरे को चोरी-छिपे लाने वाले कितने व्यक्तियों का पता भू-सीमा शुल्क प्राधिकार द्वारा लगाया गया है ; और

(ख) उनके पास से कितने मूल्य के हीरे बरामद किये गये हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह):** (क) तथा (ख). भू-सीमा शुल्क प्राधिकार ने १९५६ के दौरान में जुलाई के अन्त तक पश्चिमी पाकिस्तान से हीरे को चोरी छिपे लाने का कोई मामला नहीं पकड़ा है।

कन्नड़ भाषा तथा साहित्य

†५११. **श्री मादिया गौडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्नड़ भाषा और साहित्य के विकास के लिये साहित्य अकादमी ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या अकादमी द्वारा अथवा उसकी सहायता से कन्नड़ से किसी अन्य भाषा में या अन्य भाषा से कन्नड़ में अब तक किसी पुस्तक का अनुवाद, मुद्रण अथवा प्रकाशन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो अनुवाद के लिये कौन-कौन व्यक्ति नियुक्त किये गये थे ; और

---

† मूल अंग्रेजी में ।

(घ) इस कार्य के लिये कितनी राशि अवंटित की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२**]

बेसिक से आगे के स्कुल

†**५१२. श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में बेसिक से आगे के कितने स्कूलों को केन्द्र से वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) इस कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) तथा (ख). एक स्वयंसेवी संगठन को एक उच्च बेसिक स्कूल के लिये जिसमें बेसिक से आगे की एक कक्षा भी सम्मिलित थी, ९,५९१ रुपये स्वीकृत किये गये थे।

अफीम का चोरी छिपे ले जाना

†**५१३. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में भारतीय पुलिस द्वारा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कुल कितने मूल्य की अफीम बरामद की गई ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ४३**]

तांबा

†**५१४. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पंजाब और पेप्सू में भारत का भूतत्वीय परिमाप विभाग खानों का पता लगाने को लगा हुआ है ;

(ख) क्या राज्य के पहाड़ी जिलों में तांबा आदि खनिजों के निक्षेपों का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो वह कहां और कितनी मात्रा को है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). जी, नहीं।

अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद

†**५१५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की प्रारम्भ से क्या कार्यवाही रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है जो देश में खेल कूद की उन्नति से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार को परामर्श देती ह। परिषद ने अभी तक खेल-कूद फेडरेशनों के विभिन्न कार्यों के लिये अनुदान की सिफारिश करने के अतिरिक्त प्रशिक्षण शिविरों का संगठन करने, खिलाड़ियों के लिये गेस्ट हाउसों की स्थापना करने, खेल-कूद के स्टेडियम बनाने और शिक्षकों की एक पदाली नियुक्त करने की सिफारिश की है।

† मूल अंग्रेजी में ।

यूनेस्को सम्मेलन

†५१६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में भारत में होने वाले यूनेस्को सम्मेलन में कितने व्यय का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यह राशि किन किन प्रमुख मदों पर व्यय की जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) यूनेस्को सम्मेलन के सम्बन्ध में आतिथ देश के रूप में सरकार के दायित्वों को पूरा करने के लिये १० लाख रुपये का उपबंध किया गया है।

(ख) स्टेशनरी कार्यालय का सामान, फर्नीचर, परिवहन, टेलीफोन, संचार सुविधायें सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां, सामान्य प्रशासन और सम्पर्क सेवा।

बुनियादी शिक्षा

†५१७. **चौ० रघुबीर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिये उत्तर प्रदेश और बम्बई राज्य को अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं पर उत्तर प्रदेश और बम्बई की सरकारों के लिये निम्नलिखित राशियां स्वीकृत की गई थीं :

राज्य का नाम	योजना संख्या १	योजना ४ (छ)	बेसिक शिक्षा के प्रसार के लिये हक रखनेवाली योजना	योग
उत्तर प्रदेश .	८,३२,५०३	कुछ नहीं	कुछ नहीं	८,३२,५०३
बम्बई . .	७,०९,९१९	८५,८००	कुछ नहीं	७,९५,७१९

राष्ट्रमंडलीय मिशनरीज

†५१८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५५ में विशेष अनुमोदन प्रणाली जारी करने के पश्चात राष्ट्रमंडल के कितने मिशनरी भारत आये ; और

(ख) उक्त काल में उनके कार्यकलापों के बारे में संग्रहीत आंकड़े सम्बन्धी जानकारी क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (ख) उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ४४**]

† मूल अंग्रेजी में।

हीरे

†५१९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ७ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ की तुलना में १९५५ में हीरों की मात्रा के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मूल्यों में कमी का कारण १९५४ की तुलना में १९५५ में छोटे हीरों का अधिक संख्या में पाया जाना और खनन में सामान्य उतार चढ़ाव बताया जाता है।

आरंभिक शिक्षा

†५२०. { **पंडित दी० च० शर्मा :**
श्री राम दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१५० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने अपने-अपने राज्य क्षेत्रों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रायमरी शिक्षा जारी करने के प्रयोजन से कर तथा उपकर लगाना स्वीकार कर लिया है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]**

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

†५२१. **श्री तिम्मय्या :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट, बंगलौर में काम करने वाले कुशल और अकुशल कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क)

	संख्या
प्रवीण श्रमिक	५,०००
अप्रवीण श्रमिक, भण्डार रक्षक, लेखापाल और सहायक पर्यवेक्षक . . .	५,५२५
पर्यवेक्षक तथा उससे ऊपर के व्यक्ति	३९१
	१०,९१६

(ख)	प्रवीण श्रमिक	५६०
	अप्रवीण श्रमिक, भण्डार रक्षक, लेखापाल और सहायक पर्यवेक्षक . .	३८१
	पर्यवेक्षक तथा उससे ऊपर के व्यक्ति	२
		९४३

†मूल अंग्रेजी में ।

अभ्रक

†५२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागो में भूतत्वीय परिमाप अभ्रक खोजने के उद्देश्य से किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं जिनमें निक्षेपों के पाये जाने की आशा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ४६**]

विज्ञान मंदिर

†५२३. **श्री हेम राज** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन किन किन स्थानों में विज्ञान मन्दिर खोलने का विचार हैं; और

(ख) ऐसे स्थानों का चुनाव करने के लिये किन-किन बातों पर विचार किया जाता है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४७**]

कमलपुर बाजार, त्रिपुरा

†५२४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के कमलपुर बाजार के पुनर्निर्माण के लिये क्या कोई धनराशि दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: इस कार्य के लिये २००० रुपये की राशि स्वीकार की गई है।

भारतीय औद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर

†५२५. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनायी गयी है कि भारतीय औद्योगिकीय संस्था, खड़गपूर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्राविधिक विषयों का प्रशिक्षण कितने विद्यार्थियों को दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना में प्रत्येक वर्ष प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के लिये १२००, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये ४२० तथा गवेषणा तथा उच्च शिक्षाकार्य के लिये १८० विद्यार्थियों की भरती की व्यवस्था है।

जैसा कि योजना आयोग द्वारा स्थापित इंजीनियरिंग समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, इस समय इंजीनियरों की कमी को ध्यान में रखते हुए अवर-स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले बढ़ा दिए गये जिसके परिणामस्वरूप प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में १२७५ विद्यार्थी भरती हुये हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

द्वितीय पुनरीक्षण समिति

†५२६. **श्री नि० बि० चौधरी : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री द्वितीय पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना-विधि के लिये उद्योगों द्वारा वादा की गयी कुल दान राशि में ३१ मार्च १९५६ तक कितनी राशि प्राप्त हुयी है?

†**प्राकृतिक ससाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : पैंतालीस लाख तथा सैंतालीस हजार रुपये।

भारत में विदेशी विद्यार्थी

†५२७. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों से इस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों में कितने विदेशी विद्यार्थी, देशवार भारत आये ;

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय में उनकी कितनी संख्या है ; और

(ग) उनको किस प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**:(क) यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इस के संकलन में जो शक्ति और समय लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुकूल नहीं होगा।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अपंगो की शिक्षा

†५२८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **शिक्षा** उपमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अंगहीनों की शिक्षा के लिये राज्यवार कितना अनुदान स्वीकार किया है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ४८**]

निर्वाचन नामावलियां

†५२९. **श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री २९ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन के लागू करने के लिये पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश, मध्यभारत, तथा भोपाल में मतदाताओं की ठीक तथा पूरी सूची बनाने के उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या स्त्री मतदाताओं की ठीक सूची बनाने के लिये नवीन पद्धतियों के अनुसार कार्य किया गया है अथवा किया जायेगा?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। निर्वाचन आयोग, समय समय पर राज्य सरकारों को आदेश कर रही है जिससे वह स्थानीय जांच तथा जहां संभव हों वहाँ स्थानीय स्त्री संगठनों के सहयोग के द्वारा स्त्रियों के ठीक विवरण जानने के विशेष प्रयत्न करे । उनसे यह भी कहा गया है कि इस बात को देखें कि पुनरीक्षित सूचियों में गलत बातें नहीं हों।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ८ अगस्त, १९५६]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	७६५–८६

तारांकित प्रश्न संख्या		
८४८	बालकों के लिये राष्ट्रीय संग्रहालय	७६५–६६
८४९	अल्प बचत . .	७६६–६७
८५०	युद्ध सामग्री कारखाने . .	७६७–६८
८५१	१८५७ के स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी .	७६९
८५२	प्रतिरक्षा सेनाओं में मद्यनिषेध .	७६९–७०
८५३	छावनियों की भूमि .	७७०–७१
८५४	समुद्र पार छात्रवृत्ति योजना . .	७७१–७२
८५५	भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास .	७७२–७३
८५६	पटियाला में इंजीनियरिंग कॉलिज	७७३–७४
८५७	मुद्रास्फीति . . .	७७४–७५
८५८	छात्रावासों के निर्माण के लिये ऋण . .	७७५–७६
८५९	पाठ्य-पुस्तकें . .	७७६–७७
८६०	सार्वजनिक व्यय .	७७७–७९
८६१	हिन्दी संस्थाओं को अनुदान	७७९–८०
८६२	क्विलोन में सार्वजनिक जांच	७८०
८६३	सरकारी कर्मचारी .	७८०–८१
८६४	कोयले के नये निक्षेप .	७८१–८२
८६५	अलमोड़ा छावनी	७८२
८६६	चोरी छिपे सोना लाना व ले जाना .	७८२–८३
८६७	केन्द्रीय सरकार के अतिव्यस्क पदाधिकारी	७८४–८५
८६९	गाजीपुर का अफीम कारखाना . .	७८५–८६
८७०	वाशिंगटन के निर्यात आयात बैंक के साथ करार .	७८६
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .		७८६–८०५

तारांकित प्रश्न संख्या		
८६८	खनिज मंत्रणा बोर्ड . .	७८६
८७१	भारतीय प्रशासनिक सेवा आपात भर्ती	७८७
८७२	पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क	७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश:)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८७३	कोयला	७८७
८७४	त्रिपुरा और मनीपुर में पंचायत प्रणाली	७८८
८७५	जम्मू तथा काश्मीर का वित्तीय एकीकरण	७८८
८७६	योगाभ्यास	७८८
८७७	संयुक्त सेवा विभाग की परीक्षाएं	७८९
८७८	पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन	७८९
८७९	वैज्ञानिक असैनिक सेवा	७८९
८८०	निर्धन विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	७८९–९०
८८१	युद्ध सामग्री कारखाने	७९०
८८२	इम्फाल में प्राविधिक संस्था	७९०
८८३	प्रादेशिक भाषायें	७९०
८८४	प्राचीन भारतीय पाण्डुलिपियां	७९१
८८५	गढ़वाल राइफल्स के पदच्युत कर्मचारी	७९१
८८६	अध्ययन के लिये ऋण	७९१
८८७	चम्बल की घाटी से प्राप्त वस्तुयें	७९२
८८८	जम्मू तथा काश्मीर के संविधान का प्ररूप	७९२
८८९	सहायक अधीक्षकों की परीक्षा	७९२
८९०	यूगोस्लाविया के साथ सांस्कृतिक संबंध	७९२–९३
८९१	पोस्त की काश्त	७९३
८९२	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	७९३–९४
८९३	अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में कल्याण योजनायें	७९४

अतारांकित प्रश्न संख्या		
४९५	विदेशी मिशन	७९४
४९६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संस्थायें	७९४
४९७	त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों के छात्र	७९५
४९८	त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र	७९५
४९९	असिस्टेंट ग्रेड की नियमित अस्थायी स्थापना	७९५–९७
५००	भूतत्वीय सर्वेक्षण	७९७
५०१	त्रावनकोर–कोचीन में राष्ट्रपति का शासन	७९७–९८
५०२	स्त्री सुरक्षा पुलिस	७९८
५०३	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान	७९८
५०४	पंजाब में कल्याण विस्तार परियोजनायें	७९८–९९
५०५	ध्वज दिवस	७९९
५०६	उप-निर्वाचन	७९९

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५०७	भारत में विदेशी . . .	८००
५०८	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग .	८००
५०९	तेल के कुएं	८००
५१०	हीरों का चोरी छिपे लाना ले जाना . .	८००
५११	कन्नड़ भाषा तथा साहित्य .	८००—८०१
५१२	बेसिक से आगे के स्कूल .	८०१
५१३	अफीम का चोरी छिपे ले जाना	८०१
५१४	तांबा	८०१
५१५	अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् .	८०१
५१६	यूनेस्को सम्मेलन	८०२
५१७	बुनियादी शिक्षा	८०२
५१८	राष्ट्र मंडलीय मिशनरीज .	८०२
५१९	हीरे .	८०३
५२०	आरंभिक शिक्षा . .	८०३
५२१	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड . .	८०३
५२२	अभ्रक . .	८०४
५२३	विज्ञान मंदिर . .	८०४
५२४	कमलपुर बाजार, त्रिपुरा . . .	८०४
५२५	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर .	८०४
५२६	द्वितीय पुनरीक्षण समिति . .	८०५
५२७	भारत में विदेशी विद्यार्थी .. .	८०५
५२८	अपंगों की शिक्षा . . .	८०५
५२९	निर्वाचन नामावलियां . . .	८०५

भा. स. मु. ना.—वि.३—१८६ लोक-सभा—२३-७-५७—१८०

खण्ड ५—अंक १८
८ अगस्त, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Parliament Library

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

231 L. S./57

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६	पृष्ठ
स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में .	६९५–९६
स्थगन प्रस्ताव——	
त्रिपुरा में बाढ़े .	६९६–९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	६९८–९९
राज्य सभा से सन्देश . . .	६९९
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक .	७००
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	७००–३९
खंड २ से १५	७००–०२
खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३	७०२–१९
खंड ५० से ७० . . .	७१९–३२
खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६	७३२–३९
दैनिक संक्षेपिका	७४०–४१

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६	
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ४ और ५	७४३
बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक	७४३
राष्ट्रीय राजपथ विधेयक	७४३
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	७४४–८६
खंड २ से १५	७४४–६३
खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . .	७६३–६६
खण्ड ११५ से १३१ . . .	७६६–८६
दैनिक संक्षेपिका . .	७८७

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६	
डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन .	७८९–९०
स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . .	७९०–९५
दैनिक संक्षेपिका .	७९६

अंक १९ गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६ **पृष्ठ**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७९७–९८

राज्य सभा से सन्देश ७९८

सभा का कार्य ७९८

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में ७९९

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२

खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . ७९९–८५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५१

नदी बोंड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३

विचार करने का प्रस्ताव ८५२

दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८

कार्य-मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९

नदी बोर्ड विदेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८९४

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११

बेकारी सहायता विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

पृष्ठ

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९१९–२४

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . ९२६–२७

अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ९२९

सभा का कार्य ९२९–३०

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ९३०–४१

खण्ड २ से २९ और १ . . . . . ९३०–४०

पारित करने का प्रस्ताव ९४०

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ९४४

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ९४१–४४, ९४५–५४

खण्ड २ से १३ और १ . . . ९५३–५४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ९५४

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ९५४–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . ९७५

अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . . ९७७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९७७–७८

राज्य सभा से सन्देश ९७८

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में याचिका . ९७८

आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . ९७९

वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ९७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ११५३

अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

	पृष्ठ
राज्यसभा से सन्देश . . .	१२१०
समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक .	१२११
सदस्यों का नन्दीकरण .	१२११
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१२११
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	१२११–१५
खण्ड २ से ५ और १ . . .	१२१५
पारित करने का प्रस्ताव	१२१५
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१२१५–२४
खण्ड २ से ४ और १ . . .	१२२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१२२३
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२२४–३४
खण्ड १ और २ . . .	१२३४
पारित करने का प्रस्ताव	१२३४
जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . .	१२३५
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१२३५–३९
खण्ड १ से ३ .	१२३९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२३९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ .	१२४०–५६
सभा का कार्य .	१२३९
दैनिक संक्षेपिका .	१२५७–५८

अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

नियम समिति—	
बैठक की कार्यवाही का सारांश . . .	१२५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१२६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	१२६०

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका १२६०

सदस्य का निरोध १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के बारे में प्रस्ताव .१२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव १३०३

दैनिक संक्षेपिका १३१६–१७

अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका १३७९

अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र. १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३८२

सभा का कार्य १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक . . . १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . .१३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १४०५–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन १४१५–१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक १४१६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८

संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२०–२२

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२२–३४

दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

सभा का कार्य १४३७–३८

राज्य सभा से सन्देश १४३८

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १४३८

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १४३८

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र १४३९

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४३९–४०

बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४४०–४१

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १४४१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३

खण्ड २ और १ . . . . . १४५२–५३

पारित करने का प्रस्ताव १४५३

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४५३–८१

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . १४७५–८०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १४८०

पृष्ठ

ेल और माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका १४८३–८४

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१९०.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक--सभा

बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्यान्ह

डा० ही० कु० मुकर्जी का निधन

अध्यक्ष महोदय : कल सायं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डा० ही० कु० मुकर्जी की मृत्यु का समाचार पाकर हम सब को हार्दिक दु:ख हुआ। उनका स्वाथ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं था परन्तु यह किसको मालूम था कि अन्त इतना निकट था ।

वह बड़े लोकप्रिय राज्यपाल थे, और सभी उनका सम्मान करते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने काफी नाम पाया और बंगाल विधान मंडल के सदस्य भी चुने गये। वह सरल जीवन व्यतीत करते थे और उनकी व्यक्तिगत कमाई का काफी भाग सार्वजनीक कार्यों में खर्च होता था। उनके संपर्क में आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित होता था।

वह भारत की संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे और संविधान की रचना में उनका भी सहयोग था। वह संविधान सभा के उपप्रधान भी थे। भारत के इस महान पुत्र के निधन पर हम सभी अपना हार्दिक दुख प्रकट करते हैं और इस दु:ख में हम भी उनके परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : अध्यक्ष महोदय, आपने जो डा० मुकर्जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है उससे न केवल मैं अपितु मेरे विचार से सदन के सभी सदस्य सहमत होंगे। कुछ वर्ष पूर्व वह संविधान सभा में हमारे सहयोगी थे, और हम में से अधिकांश उनको जानते ही नहीं थे प्रत्युत उनसे स्नेह भी करते थे।

यद्यपि वह पश्चिम बंगाल के एक सफल और लोक प्रिय राज्यपाल थे तथापि मैं उस नाते उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। राज्यपाल और संविधान सभा के उप-प्रधान होते हुये भी वह सदैव भारत के एक सरल नागरिक ही रहे। वह बड़े विद्वान और मनीषी थे, मैं ने न कभी उन्हें कोई कटु शब्द

†मूल अंग्रेज़ी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कहते सुना और न कभी क्रोध करते ही देखा। इस लिये लोग उनको चाहते थे। जो व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं आये हैं वे कदाचित उनको न जानते हों। मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दिखावे से इतना दूर रह कर सादगी और शांति से जीवन व्यतीत करता हो। और उनकी मृत्यु भी शांति से बिना किसी बाधा के हुई।

हम ने केवल संविधान सभा के भूत पूर्व उप-सभापति होने के नाते ही याद करते है, परन्तु वास्तविकता तो यह है कि सभापति के बीमार हो जाने पर उन्होंने कई मास तक संविधान सभा का प्रधान पद संभाला। वास्तविकता तो यह है कि हमारे संविधान के सबसे कठिन भाग उस समय रचे गये जब कि डा० मुकर्जी संविधान सभा का सभापतित्व कर रहे थे। वह एक महान जन सेवक थे और श्रेष्ठ ईसाई का सर्वोत्तम उदाहरण थे। और इन सभी कारणों से हम उनकी प्रतिष्ठा करते हैं।

स्वयं सदन द्वारा निर्मित रुढ़ियों के अनुसार केवल विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जाती है। मैं यह सुझाव नहीं दूंगा कि क्योंकि एक राज्यपाल की मृत्यु हो गई है इस कारण सदन को स्थगित कर दिया जाये। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने राज्यपालों को सम्मान नहीं करते हैं परन्तु इस कारण क्योंकि हमे अपनी रुढ़ियों का ध्यान रखना आवश्यक है। परन्तु इस सदन के और दूसरे सदन के भी कुछ सदस्यों ने हम से यह प्रार्थना की है कि इस लिये नहीं कि डा० मुकर्जी राज्यपाल थे, प्रत्युत संविधान सभा के कार्यवाही सभापति होने के नाते तथा अन्य कारणों से उनकी एक विशेष स्थिति थी इस लिये, हम चाहते है कि भारत के इस सपूत के प्रति सदन विशेष रुप से सम्मान प्रकट करे।

सदन के कुछ सदस्यों की यह राय है और इसके विरुद्ध जाना हमारे लिये ठीक नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि इस लिये नहीं कि डा० मुकर्जी किसी राज्य के राज्यपाल थे प्रत्युत इस लिये कि उनका भारत के सार्वजनिक जीवन में एक विशेष स्थान था, सदन को बाकी समय के लिये स्थगित किया जाये।

इसमें एक कठिनाई भी है जिसे मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैंने कहा था कि मैं आज स्वेज नहर के संबंध में एक वक्तव्य दूंगा। उस वक्तव्य को मैं स्थगित करना नहीं चाहता हूं क्योंकि अन्य राजधानियों में इसके संबंध में यह सूचना दी जा चुकी है कि आज का कुल समय यहां वक्तव्य को दिया जायेगा। इस लिये श्रीमान, यदि अपकी आज्ञा हो, तो आपके आदेशानुसार डा० मुकर्जी के सम्मान में एक दो मिनट तक मौन खड़े रहने के पश्चात मैं स्वेज नहर संबंधी अपने वक्तव्य पढ़ दूं और इसके पश्चात सदन स्थगित हो जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा की स्मृति में सदस्य दो मिनट के लिये मौन खड़े रहें।

सभासद दो मिनट तक मौन खड़े रहे।

स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : २६ जुलाई को मिस्र के प्रधान नासिर ने सकन्दरिया में एक भाषण देते हुये घोषणा की कि नहर स्वेज का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। प्रधान के इस आदेश के द्वारा इस प्रकाशित राष्ट्रीयकरण विधि का अनुसरणा करते हुये मिस्र सरकार ने पोर्ट-सईद, हस्माहलिया, स्वेज तथा काहिरा स्थित कंपनी के कार्यालयों को अपने नियंत्रण में ले लिया।

कंपनी की सभी आस्तियां तथा दायितायें राज्य द्वारा ले ली गई। विधि में अंशधारीयों को बाजार दर से राष्ट्रीयकरण की तिथि से पहले के दिन की दर से प्रतिकर दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है। यह प्रतिकर राज्य द्वारा कंपनी की सभी आस्तियों और परिसम्पत पर अधिकार कर लिये जाने के पश्चात दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

स्वेज नहर में यातायात का प्रबंध एक स्वतंत्र प्राधिकार को सौंपा हुआ था। उसका अपना स्वतंत्र बजट होता था और सरकारी नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुये उस को सभी अधिकार प्राप्त थे।

कंपनी की निधियां और आस्तियां सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। नये प्राधिकार वर्तमान कर्मचारियों को रखने पर बाध्य था ; और कर्मचारियों को भी अनुमति बिना अपने पदों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। उक्त आदेश में विधि के लागू किये जाने और इन आदेशों के उल्लंघन करने पर सजा दिये जाने का भी उपबंध है।

इस घोषणा का विश्व-व्यापी प्रभाव पड़ा था। यह एक ऐसा गंभीर संकट पैदा हो गया है जिसे यदि शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया न जाये तो, वह शक्तियों के एक संघर्षमें परिणत हो सकता है जिसकी सीमा और जिसके प्रभावों का मूल्यांकन करना इस समय आसान नहीं है। इस संकट में हमारा सबसे अधिक ध्यान एक अधिक शान्त वातावरण और तर्क संगत दृष्टिकोण को अपनाने के प्रयास की ओर ही लगना चाहिये। जब भावनायें प्रबल होती है तो वास्तविक मसले पीछे पड़ जाते हैं। या उनको इस दृष्टि से देखा या इस प्रकार पेश किया जाता है कि जिससे विवाद-ग्रस्त पक्षों के मतभेद ही अधिक उभर कर सामने आते हैं और पहले से ही बनी हुई भावना को और भी अधिक बल मिलता है।

यह किसी के लिये भी आसान नहीं है, और विवाद-ग्रस्त पक्षों के लिये तो और भी कठिन है, कि वह इस दुखद घटना से बिल्कुल अलग हटकर सोच सकें। अन्य लोगों के लिये भी इस घटना के प्रति एक बिलकुल ही वस्तुगत दष्टिकोण को अपनाना संभव नहीं है। इस प्रकार के संकटों में, हम केवल विवादग्रस्त मसले पर ही विचार नहीं करते है अपितु हम इसके साथ ही बलशाली शक्तियां का उभार और उनकी टक्कर को भी देखते हैं।

इस लिये, हमें या तो समस्या के उसी रुप पर विचार करना पड़ता है कि जिस रुप में वह हमारे सामने उपस्थित होती है, या फिर जिस रुप में वह हम पर हावी हो जाती है। इस लिये, उचित यह है कि हम इस समस्या के तथ्यों और इसके इतिहास को देखें।

मिस्र ने जिस स्वेज कैनाल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया है, वह वहां के कार्य-संचालन और उपकरणों का नियंत्रण करती है, और साथ ही मिस्र सरकार द्वारा स्वेज नहर को दी गई रियायतों का स्वामीत्व ग्रहण किये हुये है। यह नहर मिस्र में ही है, और मिस्र का एक अविभाज्य भाग है। इस प्रकार उस पर मिस्र की संपूर्ण प्रमुख संबंधता के बारे में तो कोई संदेह ही नहीं है। ओटोमन साम्राज्य के अन्तर्गत मिस्र के वाइसराय द्वारा १८५६ में इस कंपनी को प्रदान किये गये अधिकार-पत्र में और १९५४ तक हुये बाद के समझोतों में भी इस बात को मान्यता दी गई है। १८५६ के मूल अधिकार पत्र में नहर को दी गई सुविधाओं की शर्तें निश्चित की गई थीं। उसमें कहा गया था कि "वह नहर किन्ही व्यक्तियों या राष्ट्रीयताओं के प्रति बिना किसी विभेद, अपवर्जन या वरीयता के सदा ही एक तटस्थ मार्ग के रुप में एक समुद्र से दूसरे समुद्र को जाने वाले प्रत्येक व्यापारिक जहाज के लिये खुली रहेगी....."

१८८८ में हुये, कुस्तुनतुनियां के समझौते में भी इस बात को दोहराया गया है कि नहर सदा ही मुक्त और खुली रहेगी।

ब्रिटेन और मिस्र की सरकारों के मध्य १९५४ में हुये इंग्लैंड मिस्र समझौते में एक ओर तो मिस्र के संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता और दूसरी ओर इस जलमार्ग की अन्तराष्ट्रीय विशेषता संबंधी स्थिति को काफी स्पष्टता के साथ रखा गया है।

मिस्र और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता हाल ही का है और उसमें जो पक्ष सम्मिलित हैं वे इस वर्तमान संकट के दो मुख्य दल हैं। लोक-सभा इस समझौते के सुत्रों को जानना चाहेगी :

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उसका अनुच्छेद ८ इस प्रकार है : "समझौता करने वाली दोनों सरकारें यह मानती हैं कि स्वेज समुद्री नहर, जो कि मिस्र का एक अविभाज्य भाग है, आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक दृष्टिकोण से एक अन्तरांष्ट्रीय महत्व का जलमार्ग है, और दोनों सरकारें नहर में नौवाहन की स्वतंत्रता को प्रत्याभूत देने वाले उस समझौते की मर्यादा बनाये रखने का निश्चय प्रकट करतीं हैं जिस पर २९ अक्टूबर, १८८८ को कुस्तुनतुनियां में हस्ताक्षर हुये थे।"

ब्रिटेन और मिस्र के मध्य हुये इस सत्यनिष्ट समझौता में एक ओर तो मिस्र की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता और दूसरी ओर इस जलमार्ग के "अन्तराष्ट्रीय महत्व" का होने की विशेषता को मान्यता दी गई है, और दोनो ही ने १८८८ के समझौते की मर्यादा को बनाये रखने के अपने निश्चय को प्रकट किया है।

स्वेज कैनाल कंपनी एक मिस्र समवाय, और मिस्र के दृष्टिकोण से, वह उस देश के कानूनों के ही अधीन है। कुछ थोड़े से अंशों को छोड़कर, शेष सभी अंशों पर विदेशी सरकारों या राष्ट्रजनों का स्वामित्व है। ब्रिटिश सरकार के पास ४४ प्रतिशत अंश हैं। उसके बोर्ड में ३२ निदेशक है; ९ ब्रिटिश, १६ फ्रांसीसी, ५ मिस्री, १ अमरीकी और १ डच।

मिस्र सरकार द्वारा स्वेज कैनाल कंपनी को प्रदान की गई रियाततों की अवधि १९६८ में समाप्त होती ; और पहले की तथा वर्तमान मिस्री सरकार ने सावजनिक रुप से यह घोषित कर दिया है कि उन रियायतों को फिर से नहीं दिया जायेगा। उस समय, १८५६ के समझौते के अन्तर्गत सभी आस्तियां और आभार मिस्र को मिल जायेंगे।

इस लिये मिस्र की सरकार का यह निर्णय समवाय को अपने अधिकार में ले लेने की नियत तिथि से पूर्व किया हुआ लगेगा। इसमें जब्ती का कोई प्रश्न इस लिये नहीं उठा है क्योंकि अंशधारियों को तो बाजार भाव पर प्रतिकर दिया ही जाना है। यदि इस विषय में कुछ मतभेद रह भी जाते हैं, तो उनके कारण किसी ऐसी घटनाओं के घटित होने की आशंका नहीं है जिन के कि परिणामस्वरूप एक अन्तर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो जाये ।

मिस्र की सरकार ने भी इस बात को दोहराया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों से उद्भत अपनें सभी आभारों का सम्मान करेगी, उन्हें निभायेगी । उसने अपने इस सम्मोदन में १८८८ के समझौते और १९५४ के इंग्लैंड-मिस्र समझौते दोनों ही का निर्देश किया है।

फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों ने मिस्र की इस घोषणा पर बड़ी शीघ्रता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह प्रतिक्रिया बड़ी तीव्रता, तीक्षणता और साथ ही पूरे जोर से व्यक्त की गई। लोक-सभा के माननीय सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों द्वारा जारी किये गये सेना और नौसेना को इधर उधर भेजने के और साथ ही मिस्र में की गई कुछ सैनिक कार्यवाहियो के प्रेस-समाचार देख चुके हैं। इनका बहुत अधिक प्रचार किया गया है, और इन्होंने परिस्थिति को और भी बिकट बना दिया है। इन सभी घटनाओं ने मिस्र में ही नहीं, सारे अरब संसार के लोकमत पर प्रभाव डाला है। समूचे एशिया में, उसकी औपनिवेशिक स्थिति की स्मृति के कारण, इसके प्रति तीव्र विक्षोभ उत्पन्न हो गया है।

भावनाओं को और अधिक उत्तेजित नहीं करना चाहता हूं लेकिन तो भी मैं इस लोक-सभा और देश के और इस संकट में ग्रस्त सभी पक्षों के भी और ब्रिटेन और फ्रांस के प्रति भी अपने कर्त्तव्य पूरा करने में असफल रहूंगा यदि मैं स्पष्ट तौर पर यह न कहूं कि इस विवाद का निबटारा करने के लिये धमकियां देना, या इस मामले में बल का प्रदर्शन करना या बल प्रयोग द्वारा अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपना, एक गलत तरीका है। यह इस युग का तरीका नहीं है और तर्कपूर्ण भी नहीं है। उस तरीके में संसार की और वर्तमान एशिया की आज की परिस्थिति को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि केवल इतना ही कुछ होता, तो शायद धैय से कार्य लेते और सोचते कि यह मानसिक स्थिति बदल जायेगी। लेकिन इन घटनाओं के प्रति गहरी चिन्ता प्रकट न करना और इनके अशोभनीय

उपलक्षणों को बताना, वास्तविकता को न समझना और व्यवहार कुशलता से आंखें मुंदना होगी और विवेक हीनता होगी। हम इतनी प्रतिक्रियाओं और उनके फलस्वरुप किये गये उपायों के प्रति अपना अत्यंत खेद प्रकट करते हैं और हम आशा करते हैं कि यह सब कुछ समाप्त हो जायेगा और सभी पक्ष वार्ता आरंभ करके इस शान्तिपूर्ण निबटारा करने का प्रयास करेंगे।

हम इस बात पर भी अत्यंत खेद प्रकट करते हैं कि जिन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप यह संकट उत्पन्न हुआ है, उनके संबंध में कहीं भी किसी भी पक्ष की ओर से अलग अलग रुप से या सम्मिलित रुप से एक दूसरे को पहले से सूचित करने या परस्पर परामर्श करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है।

मिस्र की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता और गरिमा और हमारे उसके साथ स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रति हमारे हृदय में बड़ा सम्मान तथा आदर है। मिस्र द्वारा किये गये राष्ट्रीयकरण के निर्णय के इतने शीघ्रता से किये जाने का कारण अमरीकी सरकार का आसवान बांध संबंधी वह निर्णय था जिसमें बाद में ब्रिटेन की सरकार भी सम्मिलित हो गई थी। उस निर्णय से कहीं अधिक तो उस निर्णय के किये जाने के तरीके ने मिस्र के आत्मसम्मान और उसके गर्व को चोट पहुंचाई है। और उसकी जनता की भावनाओं का अपमान किया है।

हो सकता है कि राष्ट्रीयकरण संबंधी निर्णय के इस प्रकार एकाएक किये जाने और जिस ढंग से उसे कार्यन्वित किया गया है, उसने भी प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करने में योग दिया हो। लेकिन, मिस्र के कानूनों के अन्तर्गत स्वयं इस राष्ट्रीयकरण की शर्तें भी उस सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है।

जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने लोक-सभा को सूचित किया था कि हाल ही में जब हमारी मुलाकात हुई थी, तब मेरे और राष्ट्रपति नासिर के बीच स्वेज नहर के प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई थी। उस पर विचार और उससे संबंधित निर्णय बाद ही में किया गया होगा।

अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने बड़ी तत्परता से और काफ़ी अधिक समय तक इस पर परस्पर परामर्श किया है, और उनके विचार एक संयुक्त विज्ञाप्ति में दिये गये हैं। जिसे माननीय सदस्यों ने प्रेस समाचारों में देखा होगा।

इस विज्ञप्ति में मिस्र के संपूर्ण प्रभूत्व संपन्नता अधिकारों को मान्यता दी गई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें इन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अधिकारों को उन आस्तियों के राष्ट्रीयकृत करने तक ही सीमित रखा गया है, जिनसे विज्ञप्ति के शब्दों में "कोई अन्तर्राष्ट्रीय हित प्रभावित नहीं होते हैं।" यदि मतभेद की केवल यही एक बात थी, तो इतनी कठोर प्रतिक्रिया और युद्ध छेड़ने की बातें करना नितान्त अनावश्यक था और इसके परिणाम भी दु:खद ही रहे हैं। मुझे अब भी आशा है कि युद्ध छेड़ने की धमकियां बाते भर हैं, युद्ध की तैयारियां नहीं हैं।

तीनों शक्तियां इस बात पर भी सहमत थीं की १८८८ के समझौते में सम्मिलित पक्षों और नहर के उपयोग से सामन्यता संबंध रखने वाले अन्य राष्ट्रों का एक सम्मेलन १६ अगस्त, १९५६ को लंदन में बुलाया जाये उस सम्मेलन में वे भाग लेने के लिये तैयार हो गयी थीं। इसी निर्णय का पालन करते हुये, ब्रिटेन ने इन २३ देशों को निमंत्रण दिया .....

> आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, डेनमार्क, मिस्र, इथियोपिया, जर्मन फेडरल गणतंत्र, फ्रांस, ग्रीस, भारत, इण्डोनेशिया, इरान, इटली, जापान, नीदरलैंडस, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, पाकिस्तान, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, टर्की, अमरीका और रुसी सोवियत समाजवादी संघ।

भारत सरकार को ब्रिटेन की ओर से "स्वेज नहर के प्रश्न पर" लन्दन में होने वाले एक सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण ३ अगस्त को मिला था। इससे पहले, ब्रिटेन की सरकार भारत सरकार को घटनाओं की सूचना देती रही थी।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भारत सरकार परिस्थिति की अत्यंत गंभीरता और उसके परिणामस्वरुप उत्पन्न संकटों को समझती है और इसलिये उसने इस प्रश्न के सभी पहलुओं, और इस निमंत्रण के लिये दिये जानेवाले उत्तर के संबंध में बड़ी सावधानी से विचार किया है। भारत सरकार ने इसमें रुचि रखने वाले देशों, जिसमें मिस्र भी सम्मिलित है, के साथ भी संपर्क बनाये रखा है।

भारत सरकार को सदा ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट रही है कि वह किसी भी ऐसे सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता है जिसमें कि उसमें भाग लेने वाले देशों को कुछ पूर्ण-निर्धारित निर्णयों को ही मानने पर वाध्य होना पड़े। भारत सरकार इतनी ही दृढ़ता के साथ युद्ध की तैयारियों के किन्हीं प्रबन्धों या मिस्र के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अधिकारों को चुनौती देने वाली किन्ही कार्यवाहियों या प्रतिबंधों में हाथ बटाने से इन्कार करती है। भारत सरकार नियंत्रित देशों की सूची में से वे कुछ देशों के जिन्हें कि १८८८ के समझौते के हस्ताक्षर कर्त्ताओं या नहर के मुख्य उपभोक्ताओं की श्रेणियों में सम्मिलित किया जाना चाहिये था निकाल दिये जाने की बात से भी चिन्तित है। उनमें कोई ऐसा विभेद न करते हुये जिससे कि परस्पर मन-मुटाव बढ़े मैं यह कहूंगा कि उस सूची में से ब्रम्ह का निकाल दिया जाना हमारे लिये विशेष तौर पर खेद का विषय है। १८८८ के समझौते के संबंध में एक उत्तराधिकारी राज्य और साथ ही एक समुद्री शक्ति होने के कारण, युगोस्लाविया को भी निमंत्रण दिया जाना चाहिये था। इसलिये, भारत सरकार निमंत्रण दिये गये देशों की उस सूची को उचित नहीं मानती है।

भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से इसका स्पष्टीकरण मांगा है, और वह इस बात से आश्वस्त है कि इस सम्मेलन में उसके भाग लेने का यह बिलकुल भी अर्थ नहीं होगा कि वह संयुक्त विज्ञप्ति में निरुपित सिद्धान्तों और उसके दृष्टिकोण से प्रतिबन्धित या वाध्य है। वह समझती है कि मिस्र को स्वेज नहर संबंधी किसी भी ऐसी सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहिये, और न वह लेगा ही, जिसमें कि वह केवल एक निमंत्रित शक्ति ही हो किया जाये और जिसके संबंध में उससे पहले कोई भी परामर्श न किया गया हो।

भारत सरकार को इसी परिस्थिति को देखते हुये अपना निर्णय करना था। भारत इसमें कोई हित न रखने वाला पक्ष नहीं है। वह इस जल मार्ग का एक मुख्य उपभोक्ता है और उसका आर्थिक जीवन तथा विकास आज के इन विवादों से अक्षुण रहने वाला नहीं है। अपितु इसके संबंध में घटने वाली और भी गंभीर घटनाओं का तो स्पष्टतया उस पर प्रभाव पड़ेगा ही।

इतना ही नहीं, भारत पूर्ण रुप से यह चाहता है कि कोई टक्कर न होने पाये। मिस्र के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, और वह बाडुंग घोषणाओं तथा "पंचशील" की स्वीकृत में मिस्र का सहभागी भी है। इस विवाद में ग्रस्त मुख्य-मुख्य पश्चिमी देशों के साथ भी भारत के संबंध काफी अच्छे और समीप के हैं। हम इन दोनों ही संबंधों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसे लोक-सभा और समस्त संसार जानता है। भारत सरकार ने इस विवाद के संबंध में अपना कोई निर्णय करने का आधार इसी विचार को इसी कसौटी को बनाया है, और यह कोई साधारण बात नहीं है, कि वह किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से कोई भी टक्कर न होने देने के उद्देश्य की प्रगति कर सकती है और समय रहते एक शान्तिपूर्ण निबटारा करा सकती है। भारत सरकार की भांति लोक-सभा भी परिस्थिति की गंभीरता को समझेगी। इसीलिये, भारत सरकार को सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि इस समस्या का निबटारा मिस्र की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता और गरिमा के आधार पर और सभी संबंधित देशों की परस्पर सहमति से, और किसी भी पक्ष की ओर से अक्रमण की धमकियों तथा हिंसा तथा एकपक्षीय कार्यवाही का सहारा लिये बिना ही किया जाये।

इसलिये भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से आवश्यक आश्वासन प्राप्त किये और अपनी स्थिति को बिलकुल स्पष्ट कर दिया। भारत सरकार ने पूरी तौर पर स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि लंदन सम्मैलन में उसके भाग लेने से किसी भी तरह से मिस्र के हितों या उसके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अधिकारों तथा गरीमा को उसे ठेस नहीं पहुंचेगी। भारत सरकार पर जो गंभीर दायित्व आ गया है, उसके प्रति सजग रहते हुये, उसने निमंत्रण को स्वीकार करने और सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजने का निर्णय किया है।

भारत सरकार ने इण्डोनेशिया और श्रीलंका तथा अन्य उन देशों के साथ, जो प्रश्न के संबंध में सामान्यतः भारत जसा ही दृष्टिकोण और रुख रखते हैं समीप का संपर्क बनाये रखा है।

भारत सरकार भली भांति जानती है कि उस सम्मेलन में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं किये जा सकते हैं ; क्यों कि इसके लिये मिस्र की सहमति की आवश्यकता है।

मैं जानता हूं कि लोक-सभा इस विषय में सरकार की ही भांति चिन्तित है। मैं समुची लोक-सभा के साथ बड़ी नम्रता से आशा करता हूं कि भारत के इस सम्मेलन में भाग लेने से समस्या के शान्तिपूर्ण निबटारे के प्रयासों को सहायता मिलेगी।

†**डा० लंका सुन्दरम** (विशाखपटनम) : इस मसले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरु :** आप निर्णय कर चुके हैं कि वक्तव्य के बाद लोक-सभा स्थगित होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा डा० मुकर्जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा, गुरूवार, ९ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ८ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

निधन संबंधी उल्लेख ७८९-९०

अध्यक्ष महोदय तथा प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डा० हीरेन्द्र कुमार मुकर्जी के निधन का उल्लेख किया।

इसके पश्चात् दिवगंत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये सभासद दो मिनट तक मौन खड़े रहे।

स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य ७९०-९५

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में एक वक्तव्य दिया।

गुरुवार, दिनांक ९ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि—

राज्य पुनर्गठन विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में और आगे खण्डवार विचार तथा नदी बोर्ड विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार।

भा० स० मु० ना०—वि३—२०८ लोक-सभा ३-७-५७—१९०